

U.P. Consolidation of Holdings Rules, 1954
(Rules framed under Section 45(3) of the U.P. Consolidation of Holdings
Act, 1953 as amended upto date)

CHAPTER I

1. Short title. - These Rules shall be called the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Rules, 1954.

2. Exten and commencement. - They shall come into force in the areas in which, and from the date on which, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, other than Section 1, is made applicable.

3. Definitions. - In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

(1) "Act" means the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953.

[(1A) "Basic khasra" and "Basic khatauni" mean respectively the khasra and khatauni of any village current at the time of the notification under subsection (2) of Section 4.]

[(1B) "Basic year" means the year to which the basic khasra and basic khatauni pertains.]

(2) "Section" means the section of the Act.

(3) [* * *].

(3A) [* * *].

(3B) [* * *].

(4) [* * *].

[(5) "Standard Plots of a unit" means the plots determined as such in accordance with the provisions of Rule 20-A.]

[(6) Exchange ratio means the paisa value per bigha or acre or hectare of a plot relative to the value of a bigha or an acre or a hectare of Standard plots of the unit.

Explanation. - (a) The Paisa value of a Standard plot shall be paise 100.

(b) The exchange ratio of all plots shall be expressed in multiples of 10 paisa ranging between 100 paise and 10 paise."]

Note. - This will apply where notification under Section 4 of the Act has now been issued or where notified but valuation work has not been completed.

3A. Section 3(2AA). - (1) There shall be Consolidation Committee for each unit having not less than five and not more than eleven members. In cases in which election of members becomes necessary in view of the provisions of sub-rule. (4), the Settlement Officer, Consolidation shall fix the number of members, not exceeding seven to be elected after taking into consideration the total number of tenure-holders in the unit and the strength of the Land Management Committee or Committees having jurisdiction therein. These members shall be elected by the members of the Land Management Committee or Committees of the village/villages falling in the unit from amongst such of them who possess qualifications prescribed in sub-rule (3). The Settlement Officer, Consolidation may with a view to making the Committee more representative nominate, not more than four members from amongst the tenure-holders of the unit possessing the necessary qualifications. One of the members nominated may be a representative of the co-operative farm or farms registered under Section 297 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, if there be any in the unit. In addition to the elected and the nominated members, the village Level Worker or Workers posted within the unit shall be ex officio members of the Committee without right to vote.

(2) [***].

(3) The members of the Consolidation Committee shall preferably be literate and must be-

(i) not below twenty-one years of age; and

(ii) carrying on cultivation within the unit:

Provided that if sufficient number of members of the Land Management Committee carrying on cultivation in the unit is not available to make up the required number of elected members, the remaining may be elected out of the other members of the Land Management Committee:

[Provided further that the conditions mentioned in clauses (i) and (ii) shall not apply to the ex officio members.]

(4) Where a unit consists of only one village and the number of members of the Land Management Committee of the village does not exceed five, all the members of the Land Management Committee shall become members of the Consolidation Committee. In cases in which the number of members of Land Management Committee of the village exceeds five or where the unit consists of more than one village, the number of members of Land Management Committees put together exceeds five, the Consolidation Officer shall call upon [members of] the Land Management Committee or Committees, as the case may be, to elect the [number of members required to be elected in, accordance with the orders of the Settlement Officer, Consolidation, passed under sub-rule (1)].

(5) In cases in which the Consolidation Committee is elected by one Land Management Committee only, the Chairman of the Land Management Committee, if elected as a member of the Consolidation Committee shall act as a Chairman of the Consolidation Committee. In other cases, after the Settlement Officer, Consolidation, has made nominations, if any, of members as laid down in sub-rule (1) the Committee shall elect a Chairman from amongst its members.

[(5) (a) In cases in which the Consolidation Committee is elected by one Land Management Committee only, the Chairman of the Land Management Committee if elected as a member of the Consolidation Committee shall act as Chairman of the Consolidation Committee also :

Provided that, if the Chairman of Land Management Committee on his election as a member of the Consolidation Committee or at any time thereafter refuses to act as Chairman of the Consolidation Committee, or resigns from the office, the above provision shall not apply and the members of the Committee shall elect the Chairman from amongst themselves.

(b) In cases not covered by clause (a), the members of the Consolidation Committee shall elect a Chairman from amongst themselves after the Settlement Officer, Consolidation, has made nominations, if any, as laid down in sub-rule (1)].

(6) (a) The elections shall be conducted by the Consolidator and the procedure laid down in Rules 3 to 10 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Land Management Committee (Election of Members) Rules, 1963 in respect of election of members of Land Management Committees shall mutatis mutandis be followed.

(b) Any person aggrieved by the conduct of the election under clause (a) may, within fifteen days of the date of the election, file an objection before the Settlement Officer, Consolidation whose decision thereon shall be final.

(7) The Consolidation Committee so constituted shall function till the issue of the notification under Section 52 of the Act, unless it is reconstituted or some other authority is appointed in its place under the provisions of sub-rule (10), or unless the term of Land Management Committee, or of any of the Land Management Committees, if the Consolidation Committee was elected by more than one Land Management Committee, has expired. In the latter cases, the Consolidation Committee shall continue to function till such time as the new Land Management Committee or Land Management Committees, as the case may be, elect another Consolidation Committee:

Provided that where the newly elected Land Management Committee is likely to be replaced by another Land Management Committee before the issue of notification under Section 52 in respect of the unit, the Director of Consolidation may, for reasons to be recorded, by general or special order,

require that the Consolidation Committees already constituted shall continue to function till such time as may be specified by him.

(8) In respect of any area to which sub-section (2) of Section 117-A of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, is applicable, the Collector, after consultation with Chairman of the local authority concerned, shall nominate from amongst the residents of the area concerned, such number of qualified members, not being less than 5 or more than eleven, as may have been determined by the Settlement Officer, Consolidation.

[(9) (a) Where the persons nominated by the Collector under sub-rule (8) include the Chairman of the local authority, he shall act as a Chairman of the Consolidation Committee also:

Provided that, if the Chairman of the local authority on his nomination as a member of the Consolidation Committee or at any time thereafter refuses to act as Chairman of the Consolidation Committee, or resigns from the office the above provision shall not apply and the members of the committee shall elect the Chairman from amongst themselves.

(b) In cases not covered by clause (a), the members of the committee nominated by the Collector, shall elect a chairman from amongst themselves.]

[(10) Where at any time the District Deputy Director of Consolidation finds -

(i) that a Land Management Committee does not exist in a unit notified under Section 4(2) of the Act or that the Land Management Committee or Committees has or have failed to elect the fixed number of members of the Consolidation Committee within a reasonable time, he may, by notification in the Official Gazette, nominate such number of persons being not less than two, and the Consolidation Committee shall consist of the said persons, and the information of such nominations shall be given in the unit by beat of drum and such information shall also be pasted on the notice board of the office of the Assistant Consolidation Officer, or

(ii) that the Consolidation Committee has refused or failed without reasonable cause or excuse to discharge the duties or perform the functions, imposed or assigned by the Act or the Rules, or circumstances have so arisen that the Consolidation Committee has been rendered unable to discharge the duties or to perform the functions aforesaid, he may, by notification in the Official Gazette, constitute a new Consolidation Committee in accordance with the provisions of these rules, or nominate such number of persons being not less than two as he may deem fit to constitute the new Committee.]

[(11) The resignation of a member or a Chairman of a Consolidation Committee may be accepted by the Settlement Officer, Consolidation.

(12)(a) Vacancies among members of a Consolidation Committee shall be filled in -

(i) by election by the Land Management Committee or Committees, as the case may be, in the manner laid down in sub-rule (6) in case the outgoing member was an elected member;

(ii) by nomination by the Settlement Officer Consolidation or the Collector, as the case may be in case the outgoing member was a nominated member.

(b) A vacancy in the office of the Chairman of Consolidation Committee shall be filled in the manner laid down in sub-rule (5) or sub-rule (9), as the case may be.]

4. [Section 3(8)]. In effecting service of the notice giving information of the date of the publication in the unit of a document, the Serving Officer may, where the member of the Consolidation Committee is not present at his residence at the time of service or where he cannot be found after using all due and reasonable diligence, effect service by affixation of the notice on the outer door or some other conspicuous part of the house in which he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

[4A. [* * *].

5 to 12. [* * *].]

13. [* * *].

14. [Section 54(1)]. - (1) The Assistant Consolidation Officer shall, in consultation with the Consolidation Committee, appoint guardians, for purposes of proceedings under the Act, of such tenure-holders who are minors, idiots or lunatics unless such guardians have been already appointed by order of a competent Court.

[(2) The guardian appointed for a minor, idiot or lunatic under sub-rule (1) shall be his natural guardian unless the natural guardian possesses, an interest adverse to the interest of the minor, the idiot or the lunatic. If the natural guardian is not so appointed, the Assistant Consolidation Officer shall record reasons therefor and shall then appoint the nearest male relative of the minor, the idiot or the lunatic, not possessing an interest adverse to him, as his guardian.

(3) A list of all such guardians together with the names of their wards shall be published in the village and any person interested in the ward may file an objection against such appointment before the Consolidation Officer within fifteen days of such publication, whose orders shall, subject to the modification, if any, made by orders passed under Section 48, be final.]

15. [* * *].

CHAPTER II

16. [* * *].

[16A. (1) In view of the fact that the map, the field-book and the annual register of each village under consolidation operation shall be thoroughly revised under the provisions of Sections 7 to 11 of the Act, before a] [Consolidation Scheme], is prepared for a unit, it will, not be necessary for the District Deputy Director of Consolidation to get these records prepared annually during the period a village remains under consolidation operations. In order to maintain the existing record-of-rights, he shall cause

to be brought up-to-date the records published under Section [10(1)] by getting all orders relating to changes and transfers affecting any of the rights or interest recorded in the annual register, which are passed under Section 12 of the Act, noted in red ink in the columns of the register meant for the purpose until a fresh record-of-right is prepared under Section 27 of the Act.

[(2) For the collection of agricultural statistics in respect of important Kharif and Rabi crops specified by the Board of Revenue periodical partals shall be carried out by the Consolidation Lekhpal every year during the period the village remains under consolidation operations. The results of these partals, be recorded by the Lekhpal in a chittha separately prepared for the purpose in accordance with the instructions of the Director. No Zaid partial shall be carried out. Kharif and Rabi Jinswars in respect of all the crops specified by the Board shall be prepared by the Consolidation Lekhpal and these shall, after the checking by the Consolidator, be forwarded to the Tahsildar concerned by the dates fixed for the submission by the supervisor Kanungo, of Kharif and Rabi Crop statement in the Land Records Manual. The figures contained in (a) Statement of Holdings, Land Revenue and Rentals, and (b) the Area Statement, for the basic year if complied or for the preceding years shall be repeated during the years the village remains under consolidation operations.]

16B. Section 5(c). - The Settlement Officer, Consolidation, shall grant the permission referred to in Section 5(c)(ii) unless for reasons to be recorded in writing, he is satisfied that the proposed transfer is likely to affect adversely the scheme of consolidation.

17. Section 6. - The [notification] made under Section 4 of the Act, may among other reasons, be cancelled in respect of whole or any part of the area on one or more of the following grounds, viz., that -

(a) the area is under a development scheme of such a nature as when completed would render the consolidation operations inequitable to a section of the peasantry;

(b) the holdings of the village are already consolidated for one reason or the other and the tenure-holders are generally satisfied with the present position;

(c) the village is so torn up by party factions as to render proper consolidation proceedings in the village very difficult; and

(d) that a co-operative society has been formed for carrying out cultivation in the area after pooling all the land of the area for this purpose.

18. Sections 7 and 54(2)(d). - (a) The village map of the unit placed under consolidation operation shall be revised either -

(i) by the ordinary method of map correction in which each field as shown in the map is compared with its shape and size on the spot and, where necessary, the shape and size on the map are corrected after necessary measurements, or

(ii) by a complete professional survey (resurvey). The District Deputy Director of Consolidation, shall, therefore, if he has not already got the necessary information with him get enquiries made into the condition of the village maps of all the units placed under consolidation operations in his district and select villages for bringing the maps up-to-date by either of the two methods indicated above. He shall then proceed to get the maps revised accordingly [* * *].

(b) In carrying out professional survey of villages instructions contained in Chapters VI and IX, and in revising the maps by the ordinary methods of map correction instructions contained in Chapters VII and IX of the Manual for the Revision of Maps and Records will, mutatis mutandis apply.

(c) [* * *].

[(d) The work of ordinary map correction shall be carried out by the Consolidation Lekhpal. This will be checked by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer during their field-to-field partals of the

village in accordance with the instructions of the Director for the time being in force.

(e) In a rectangulation village the work of professional survey and rectangulation shall be carried out by a Rectangulator whose work shall be checked by the Assistant Rectangulation Officer and the Rectangulation Officer.]

Partals

19. Sections 8 and 54(2)(d). - All the entries of the current annual register shall be tested by the Consolidator cent per cent by comparing them with the entries of the previous annual register or registers and connected field books and also the existing record-of-rights prepared during the last settlement or the revisions of records. Mistakes and disputes detected shall be entered in the appropriate columns in the list of mistakes and disputes in land records in C.H. Form 4.

20. Sections 8 and 54(2)(d). - After the test of the annual register has been carried out in the manner prescribed in Rule 19, a thorough verification of the entries in the annual register shall be carried out by the Consolidator. This shall be done by reading out the record in the village and explaining every entry in it to the tenure-holders collected in as large a number as possible somewhere in the village itself. [He shall so ascertain views of the tenure-holders concerned or the persons interested with regard to their shares in joint holdings. The mistakes and the disputes detected and the shares indicated by the persons concerned, shall be noted in the appropriate columns of the list of mistakes and disputes in land records in C.H. Form 4.].

[20A. (a) The Assistant Consolidation Officer shall check the work of test and verification of the annual register carried out by the Consolidator and shall also determine 'Standard Plots' for the unit in accordance with the provision of sub-section (3) of Section 8-A.

(b) The list of "Standard Plot" shall be prepared in Form C.H.7-B and published alongwith a copy of the village map showing the "Standard Plots"

in red ink. All objections received by the Assistant Consolidation Officer within 15 days of the publication of the list shall be entered in the Misilband Register of village. He shall forward the objections alongwith his reports to the Consolidation Officer, who shall decide the objections after affording the persons concerned an opportunity of being heard and after making spot inspection.

(c) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under sub-rule (b) may, within 15 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation who shall, after affording the persons concerned an opportunity of being heard and making a spot inspection, if necessary, give his decision thereon. The order of the Settlement Officer, Consolidation shall be final and not open to question.]

21. Sections 8, 54(2)(d). - After the test and verification of the annual register as prescribed in Rules [19, 20 and 20-A], a field-to-field partial of all the plots shall be carried out by the Consolidator in association with the Consolidation Committee and as many tenure-holders of the village as he can collect and the result shall be noted by him in khasra [* * *] chakbandi in C.H. Form 2-A. The mistakes and disputes discovered during the partial shall also simultaneously be noted in the appropriate columns of the list of mistakes and disputes in land records in C.H. Form 4.

[22. Sections 8 and 54(2)(d). - The list of mistakes and disputes mentioned in Rules 19, 20 and 21 shall be prepared in C.H. Form 4 in two parts. Part I shall contain clerical mistakes, and Part II shall contain other mistakes and disputes discovered during the test and verification of the annual register and in the course of the field-to-field partial referred to in Rules 19 and 21. Details of shares claimed in joint holding shall also be recorded in Part II of C.H. Form 4.]

[23. Sections 8 and 54(2)(d). - At the time of field-to-field partial of the village, the Consolidator shall determine whether a plot is irrigable or not, indicating at the same time in column 19 of the Khasra chakbandi the source and method of irrigation for each irrigable plot; if more than half of

the plot is irrigable, the whole of it shall be so treated. The irrigable area of the plot shall be recorded in column 20 of the khasra chakbandi.

Explanation. - Plots irrigated from the following sources shall be treated as irrigable :

(i) canals, tube-wells and other wells of durable nature; earthen wells will, generally not be considered of durable nature, except where the Consolidation Committee decides otherwise and the decision is confirmed by the Settlement Officer, Consolidation; and

(ii) rivers, jheels, nalas, tanks, ponds and other sources which are able to supply water for irrigational purposes during an entire fasal in a normal year.]

Revision Of Maps And Records

[24. Sections 8 and 54(2)(d). - (1) The Assistant Consolidation Officer shall check all the mistakes and disputes discovered and the shares recorded in C.H. Form 4 by the Consolidator during his test and verification of the annual register and field-to-field partal and shall in addition check the work of the Consolidator by himself partalling entries in respect of at least 20 percent of the plots in the village. The work done by the Assistant Consolidation Officer shall be checked by the Consolidation Officer and the Settlement Officer, Consolidation to ensure that all the mistakes, disputes and specification of shares in joint holdings have been brought on the List of Mistakes and Disputes.

(2) The Assistant Consolidation Officer shall be supplied with a copy of the soil classification map prepared in the current Settlement or roster operation for the village concerned well before he starts his check of the field-to-field partal of the village.

(3) The Assistant Consolidation Officer shall get the details of soil classification determined at the time of current Settlement or roster operations incorporated in the copy of the map of "the village prepared under Rule 18.

(4) The Assistant Consolidation Officer shall then take up, with the help of the finalised list of Standard Plots, the work of determination of exchange ratio of each plot in the unit, except plots or parts of plots covered by the Explanation appended to clause (2) of Section 3 of the Act, a list of which shall be prepared in C.H. Form 18. The exchange-ratios of plots shall be determined by the Assistant Consolidation Officer in consultation with the Consolidation Committee after making enquiries from as many tenure-holders of the unit as he may be able to collect. The exchange-ratio of each plot so determined shall be recorded in words in his own hand by the Assistant Consolidation Officer in column 28 of C.H. Form 2-A, against the plot concerned. The exchange ratio of each plot so determined shall also be shown in the copy of the map prepared under sub-rule (3). In determining the exchange ratio of each plot the following acts shall be taken into consideration -

(i) the existing soil class of the plot as recorded in the current Settlement or roster operations;

(ii) productivity as adjudged by the soil constituents of the plot, the number and kind of crops generally grown and the quantum of labour required to grow them;

Note. - Temporary or erratic increase or decrease in productivity shall not be taken into account.

(iii) availability of irrigation facilities;

Note. - In the case of irrigation by canal, the fact where the plot is irrigated by "flow system (Tor)" or "lift system (Dal)", the nearness of the plot to the water channel and the volume of water supply shall be taken into consideration.

(iv) location having a bearing on the cost or supervision of cultivation, or the marketing of the produce of a plot.

(5) The ultimate responsibility for the correct determination of the exchange ratio of each plot shall be that of the Assistant Consolidation Officer himself.

(6) The exchange ratio of each plot shall, in accordance with the instructions which may be issued by the Director of Consolidation, be noted in the map of the unit referred to in sub-rule (3).

(7) The Assistant Consolidation Officer, at the time of determination of the exchange ratio of each plot, shall also determine, in consultation with the Consolidation Committee, and after making enquiries from as many tenure-holders of the unit as he may collect, the value of each tree, well and other improvement existing in a plot for the purpose of determination of compensation. The value so determined shall be entered in column 12 of the Khasra Chakbandi in C.H. Form 2-A. In determining the value of a tree, the Assistant Consolidation Officer shall take into consideration its age and kind with a view to finding its market value, and in determining the value of a well and other improvement he shall take into consideration, its nature, age, state of repairs and serviceability. If he so decides the Assistant Consolidation Officer may, before coming to a finding himself, request the Settlement Officer, Consolidation, to have the value of a well or other improvement, estimated by an officer of the Public Works Department. If a tree, well or other improvement is owned by more than one person, the amount of compensation which may be determined shall be apportioned among the several co-owners by the Assistant Consolidation Officer after making necessary enquiries with regard to their shares.

(8) The Consolidation Officer shall check the exchange ratios to the extent of 10 per cent of the plots in each unit along with the calculation of their valuation, the determination of value of trees, wells and other improvements. The Settlement Officer, Consolidation, shall also check the work aforesaid on the spot in at least 10 per cent of the units in the circle of each Assistant Consolidation Officer.

(9) The copy of the map showing exchange ratios of consolidable plots prepared under sub-rule (4) shall be published in the unit along with other records mentioned in clause (b) of sub-section (1) of Section 9].

[24A. Sections 8-A and 54.] - (1) The "Statement of Principles" shall be prepared in his own hand in C.H. Form 21 by the Assistant Consolidation Officer in consultation with the Consolidation Committee and after making enquiries from as many tenure-holders of the unit as he may be able to collect. The statement shall contain reasons for the principles incorporated therein and shall be accompanied by a copy of the map of the unit, which shall show :

- (i) "Standard Plots" of the unit as determined under Rule 20-A;
- (ii) the existing permanent features, such as Abadi sites, canals their distributaries along with field channels (gools) roads, groves, wells, nalas, rivers, graveyards, cremation grounds and other areas, used for public purposes;
- (iii) the additions and alterations proposed in the site, alignment or dimensions of any of the items mentioned in clause (ii); and
- (iv) areas to be earmarked for any other public purposes.

(2) Besides reservation of lands for extension of Abadi, including areas for Abadi sites for Harijans and landless persons in the unit for present and future needs land may also be reserved according to the needs of each unit for the following public purposes :

- (i) Manure pits;
- (ii) Roads, village and inter-village rastas;
- (iii) Pasture lands;
- (iv) Threshing-floor;
- (v) Playground;

- (vi) Primary and other schools;
- (vii) Hospitals;
- (viii) Panchayat ghars;
- (ix) Plantation of trees;
- (x) Cremation grounds and graveyards;
- [(xi) Water channels (gools or nalis) and canals for irrigation purposes];
- (xii) Flaying sites; and
- (xiii) any other objects of similar nature for which reservation of land may be considered necessary in the interest of the tenure-holders of the unit.

Note. - Reservation for all the purposes specified above, including those for Abadi sites shall be made separately for present needs and for future needs.

(3) During the course of the preparation of the Statement of Principles every specific problem of the unit having a bearing on equitable allotment of Chaks shall receive the attention of the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Committee. The principles on which such problems are proposed to be resolved should be in consonance with the provisions of the Act and these Rules, and must be incorporated in the statement.

The statement shall also show the details of the "Standard Plots" determined under Rule 20-A.

(4) If there is a difference of opinion between the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Committee on any of the terms of the Statement of Principles, the Assistant Consolidation Officer shall prepare a note covering the points of differences and forward it to the Consolidation Officer.

(5) If the Consolidation Officer is unable to resolve the difference between the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Committee, he

shall forward the record to the Settlement Officer, Consolidation, together with his opinion on each point of difference.

(6) The Settlement Officer, Consolidation, shall after hearing the Consolidation Committee, give his decision on the points referred to him under sub-rule (5).

[24B. The Statement of Principles shall be published in the unit along with the map prepared under sub-rule (1) of Rule 24-A.]

[24C. All objections against the Statement of Principles under Section 9 of the Act shall be filed in writing and shall be signed by the person making them. They shall clearly indicate the manner in which the interests of the objectors are likely to be affected.]

[24D. The Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation, as the case may be, shall, when making a local inspection of the unit under Section 9-B, or for the purpose of deciding an appeal under Section 11 prepare inspection memos and place them on the file containing his order.]

25. Sections 9(1) and 54(2)(d). - (a) The Assistant Consolidation Officer shall pass orders in his own hand in appropriate columns of the list of mistakes and disputes in land records for the correction of all the clerical mistakes entered in Part 1 of the list in C.H. Form 4, after consulting the previous land records of the village, where, necessary. These orders shall then be noted by the lekhpal against the relevant khatas of the annual register and shall be attested by the Consolidator. The Assistant Consolidation Officer shall also satisfy himself by checking that all his orders have been correctly recorded in the annual register.

[(b) Necessary number of copies of the notices, containing relevant extracts in C.H. Form 5 in respect of all the khatas in the annual register, after the orders of the Assistant Consolidation Officer mentioned in sub-rule (a) have been given effect to, and the notices in C.H. Form 5-B (where necessary), shall be prepared by the Consolidation lekhpal and checked by the Consolidator. At least 20 per cent of the notices shall also be checked by the Assistant Consolidation Officer to ensure their accuracy.]

[(c)(i) The notices in C.H. Form 5, and where necessary, in C.H. Form 5-B also, shall be issued under the signatures of the Assistant Consolidation Officer to the tenure-holders concerned and persons interested respectively;

(ii) Notices in respect of land belonging to Government Departments shall be sent to the heads of the local district officers (including the Assistant Custodian of Evacuee Property). Notices in respect of land belonging to or vested in the Gaon Sabha, or any other local authority, shall be sent to the Pradhan of the Gaon Sabha or the Chairman of the local authority, as the case may be;

(iii) Office copies of the notices issued, under clauses (i) and (ii) shall be kept on the common village file for so long as they are not made part of separate files. The common village file shall bear a proper index of its contents.]

(d) [* * *].

[(e)(i) An objector shall file separate objections in respect of -

(1) rights and liabilities in respect of land together with specification of shares of individual tenure-holders in joint holdings and other cognate matter relating to partition; and

(2) valuation of plots, trees, wells and other improvements:

Provided that no objection shall be dismissed merely on the ground that a composite objection in respect of matters referred to in sub-clauses (a) and (b) has been filed.

(ii) The Assistant Consolidation Officer shall get separate case files opened in respect of each of the two categories of objections mentioned in sub-clauses (a) and (b) of clause (i).]

[(f) Cases relating to each of the two categories mentioned in clause (i) of sub-rule (e) shall be entered in chronological in a Misilband register in C.H. Form 6 to be maintained by each Assistant Consolidation Officer.]

(g) [* * *]

(h) [* * *]

[25A. Sections 9-A, 9-B and 9-C. - (1) The Assistant Consolidation Officer shall, as far as possible, deal with all the objections filed by a tenure holder with regard to matters referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 9-A and sub-section (1) of Section 9-B in village itself. In deciding disputes on the basis of conciliation in terms of sub-section (1) of Section 9-A, he shall record the terms of conciliation in the presence of at least two members of the Consolidation Committee of the village. These terms shall then be read over to the parties concerned and their signatures or thumb impressions obtained. The members of the Consolidation Committee present shall also sign the terms of conciliation. The Assistant Consolidation Officer shall then pass orders deciding the dispute in terms of conciliation specifying the precise entries to be made in the records. Details of the operative part of the orders passed by the Assistant Consolidation Officer shall be noted in the Misilband register. No ex parte order or orders in default shall be passed by the Assistant Consolidation Officer.

(2) In all cases in which the Assistant Consolidation Officer sends a report, under the provisions of sub-section (2) of Section 9-A, or sub-section (1) of Section 9-B to the Consolidation Officer for disposal, he may fix a date and place for the disposal of the cases by the Consolidation Officer and communicate the same to the parties present before him and issue notices in C.H. Form 6-A to the parties not so present. The report of the Assistant Consolidation Officer in such cases clearly brings out the points in dispute between the parties and the efforts made by him to reconcile them.]

[26. Section 9-A. -(1) The cases received from the Assistant Consolidation Officer shall be entered in the Misilband register in C.H. Form 6 in the office of the Consolidation Officer.

(2) On the date fixed under sub-rule (2) of Rule 25-A, or on any subsequent date fixed for the purpose, the Consolidation Officer shall hear the parties,

frame issues on the points in dispute, take evidence, both oral and documentary, and decide the objections.

(3) The notice, which it may become necessary for the Consolidation Officer to issue to any person in connection with the disposal of a dispute by him, shall be in C.H. Form 6-A.

(4) Where all the tenure-holders of a joint holdings oppose partition and the Consolidation Officer is satisfied that the opposition of each co-tenure-holder is genuine, he shall not proceed with the partition, unless for reasons to be recorded by him in writing, he considers it necessary so to do in the interest of better consolidation.

(5) For deciding dispute relating to the determination of exchange ratio of a plot or the valuation of a tree, well or other improvement existing on a plot, the Consolidation Officer shall make a local inspection of the plot concerned, prepare an inspection memo and place it on the connected file.]

[27. Sections 9-A and 54. - The Consolidation Lekhpal shall note the orders of the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Officer passed under Section 9-A with regard to -

(i) rights in and liabilities in regard to the land.

(ii) valuation of plot, trees, wells and other improvements, and

(iii) partition, of joint holdings - (i) in the basic Khatauni, (ii) Khasra chakbandi in C.H. Form 2-A, and (iii) the relevant columns of the revised annual register in C.H. Form 11 (as soon as it has been prepared) respectively. He shall enter case numbers, the date of order and its operative portions in the records aforesaid. The correctness of the entries made by the Consolidation Lekhpal shall be attested by the Consolidator. The Assistant Consolidation Officer shall also check at least 20 per cent of the entries to ensure that they have been correctly made.]

[27A. Section 12-A. - (1) The Settlement Officer, Consolidation shall cause to be prepared by the Consolidation Lekhpal a statement in C.H. Form 7 to

show the amount of the land revenue payable on new holdings, and apportionment or alteration, if any, in the amount of land revenue on existing holdings, where this may be necessary in view of the orders passed under Section 9-A. C.H. Form 7 will show the Fasli year from which the above changes in land revenue on the affected holdings became due.

(2) After the statement has been checked by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer, to ensure its correctness it shall be published in the unit and all objections received within seven days of its publication shall be enquired into by the latter.

(3) After making such changes in it as the Assistant Consolidation Officer considers necessary, the statement shall be submitted by him to the Consolidation officer, with a report on each of the objections received. The Consolidation Officer, shall also check the statement with a view to satisfy himself about its correctness. He will prepare report of mistakes that come to his notice and initial the corrections thus made and will also sign the statement on each page. The statement and the report of the Assistant Consolidation Officer accompanying it will then be forwarded by the Consolidation Officer with his own report, if any, to the Settlement Officer Consolidation, who shall examine the statement and the objections, and pass orders for the assessment, or apportionment or alteration of the land revenue, as the case may be.]

28. Section 10. - [(1) A revised annual register in C.H. Form 11 shall then be prepared by the Consolidation Lekhpal incorporating all the orders relating to rights in, and liabilities in respect of land passed by the Assistant Consolidation Officer under sub-section (1) of Section 9-A and the Consolidation Officer under sub-section (2) of Section 9-A and also the orders passed by the Settlement Officer, Consolidation under Rule 27-A. Details of the operative portions of the orders passed in partition and amalgamation cases shall be recorded in the appropriate column of the register. The record shall be checked by the Consolidator, the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Officer of the circle. The officer checking the entries in the record shall initial them in token of his having checked them. The revised annual register shall be signed by the

Consolidation Lekhpal, the Consolidator, the Assistant Consolidation Officer and also by the Consolidation Officer. It shall then be published in the unit under sub-section (1) of Section 10.]

[(1A) An alphabetical list in Hindi in C.H. Form 10-A showing all the holdings of a tenure-holder at one place, after incorporating partition and amalgamation orders as shown in C.H. Form 11, shall be prepared by the Consolidation Lekhpal and checked by the Consolidator, and Assistant Consolidation Officer of the circle. The Officer checking the entries in the list shall initial them in token of his having checked them.]

(2) All cuttings and overwritings in the annual register shall be initialled and dated by the person responsible for the cuttings or the overwritings and also by the Assistant Consolidation Officer. They shall then be brought on an Errata List in C. H. Form 6-B, to be prepared by Consolidation Lekhpal in duplicate in carbon. The Errata List shall be signed by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer also. A copy of the Errata List shall be sent to the Consolidation Officer of the circle for record in his office.

29. Section 10. - Where necessary as a result of orders passed under Sections 11 and 48, Supplementary C. H. Form 7 shall be prepared in the manner prescribed under Rule 27-A, sub-rules (1), (2) and (3) to show alterations in land revenue on the holdings since the preparation of the original C. H. Form 7 under Rule 27-A.

30. Section 12. - (a) The form in which the matter mentioned in Section 12 of the Act may be raised before the Assistant Consolidation Officer shall be C.H. Form 6-C.

[(b) The procedure laid down in Rules 25-A to 27 and 29 shall, mutatis mutandis be followed in deciding matters raised before the Assistant Consolidation Officer under Section 12.]

31. [* * *].

32. [* * *].

33. Section 12-D. - An application for amalgamation of holdings shall be in C.H. Form 10. All orders authorizing amalgamation of holdings shall be recorded in the appropriate columns of the [revised annual register in C.H. Form 11].

CHAPTER III

34 to 42. [* * *].

43. [* * *].

43A to 45. [* * *].

Provisional Consolidation Scheme

46. Section 19A. - (1) The Assistant Consolidation Officer shall prepare the [Provisional Consolidation Scheme] in C.H. Form 23 in consultation with the members of the Consolidation Committee after making enquiries from as many tenure-holders as he is able to collect.

[(1A) The Provisional Consolidation Scheme prepared under sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the map of the unit showing the plots allotted to tenure-holders and the location of land set apart for public purposes.]

(2) All cuttings and overwritings in the [Provisional Consolidation Scheme] shall be initialled and dated by the person responsible for them and also by the Assistant Consolidation Officer. An Errata List in C.H. Form 6-B shall be prepared in duplicate in respect of the provisional Consolidation Scheme. A Copy of the Errata List shall be sent to the Consolidation Officer for record in his office.

47. Section 19A. - The [Provisional Consolidation Scheme] shall also state explicitly :

(1) The area to be allotted to the asamis of the tenure-holders and the rent payable thereof.

(2) The encumbrance attached to a holding, the amount, name of the person in whose favour the encumbrance exists and the nature and terms of the encumbrances.

(3) The areas of abadi land or land used for public purpose proposed to be amalgamated with any holding and showing the areas earmarked for public purposes.

(4) [* * *].

47A. [* * *]

[48. Section 20. - Relevant extracts from the Provisional Consolidation Scheme in C.H. Form 23 along with notices in C.H. Form 24 shall be prepared by the Consolidation Lekhpal in duplicate, in respect of each tenure-holder and in respect of land owned by or vested in Gaon Sabha or local authority. They shall be attested by the Assistant Consolidation Officer after being checked by the Consolidator. One copy of the extract shall be served on the tenure-holder concerned or the Chairman of the Land Management Committee or the local authority, as the case may be, before the provisional Consolidation Scheme is published in the unit. The office copy of the extract shall be preserved on the common village file which shall be properly indexed.]

48A. [* * *].

48B. Section 20. - The proposal for the consolidation of holdings contained in the extracts shall be explained by the Consolidation Lekhpal and the Consolidator to each tenure-holder by a preliminary demarcation on spot in cases in which this may be necessary. The Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Officer will ensure by personal verification from as many tenure-holders as possible that these instructions have been duly carried out.

49. Section 21. - (1) The objections received by the Assistant Consolidation Officer shall be forwarded by him to the Consolidation Officer along with the

common village file containing the office copies of all the extracts in C.H. Form 23 issued under Rule 48.

(2) Separate files shall be opened for each case in which objections are received under Section 20 of the Act. The file of each case shall deal with one set of parties. All the objections shall be entered in a Misilband Register in C.H. Form 6 in the office of the Consolidation Officer. Extracts in respect of which no objections are received shall remain on the common village file to which a proper index showing the details of the extracts shall be attached.

(3) Where the Consolidation Officer rejects the objection, he shall cause a notice of rejection to objection to be served on the tenure-holder. Where, however, in accepting any objection, the Consolidation Officer finds it necessary to make any alteration in, the [Provisional Consolidation Scheme] he shall cause a revised extract, in [C.H. Form 23], to be served on the tenure-holder concerned free of cost. The objection under sub-section (1) of Section 21 shall not be deemed to be disposed of until the aforesaid notice rejecting the objection or, as the case may be, the revised extract has been served on the tenure-holders concerned.

(4) The notice or the revised extract shall be prepared in duplicate, signed by the Consolidation Officer and shall bear his seal. The serving officer shall, after endorsing acknowledgement of service on one copy, deliver the other copy to the tenure-holder after endorsing the date of service on it. The first copy bearing the acknowledgment of tenure-holder and the date of service on him shall be placed in the record of the case concerned.

[(5) Where in deciding an appeal filed under sub-section (2) of Section 21, the Settlement Officer, Consolidation makes any alterations in the provisional Consolidation Scheme, he shall cause to be issued to the tenure-holder concerned a revised extract in C.H. Form 23.

(6) Where in deciding a revision under Section 48 the Director of Consolidation makes any alteration in the Provisional Consolidation

Scheme, as confirmed under Section 23, he shall cause a revised extract in C.H. Form 23 to be issued to the tenure-holder concerned.]

50. Section 23. - (1) If as a result of the orders passed under Section 21, the [Provisional Consolidation Scheme] is to undergo numerous changes which it may not be easily possible to incorporate in the existing statement itself, a fair copy thereof along with a copy of the map of the unit showing the plots allotted to the tenure-holders and the location of land set apart for public purposes may be prepared before it is confirmed and published under subsection (2) of Section 23.

(2) All the cuttings and over-writings in the [Provisional Consolidation Scheme] as confirmed by the Settlement Officer, Consolidation and published under sub-section (2), of Section 23 shall be initialled and dated by the person responsible for the cutting or over-writing and also by the Assistant Consolidation Officer. They shall be brought on an Errata List in C.H. Form 6-B to be prepared by the Consolidation Lekhpal in duplicate in carbon. The Errata List shall be signed and dated by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer and a copy thereof shall be sent to the Consolidation Officer of the circle for record in his office.

CHAPTER IV

51. [* * *].

52. [* * *].

53. [* * *].

54. [* * *].

[54A. Section 24. - Before the date from which the Consolidation Scheme shall come into force is fixed under Section 24, the Settlement Officer, Consolidation, shall satisfy himself that the boundary lines of chaks have been properly demarcated in accordance with the final Consolidation Scheme.]

[55. Section 28. - (1) The procedure to be followed under Section 28 by the Assistant Consolidation Officer, in putting tenure-holders or Land Management Committees, as the case may be, in actual physical possession over the chaks or lands allotted to them shall be same as prescribed in the Civil Procedure Code for delivery of possession over immovable property in execution of a decree.

(2) In case the right to tend and gather the crops standing on such chaks or land or parts thereof remains with the person from whom possession is transferred, the Assistant Consolidation Officer shall in consultation with the Consolidation Committee determine in C.H. Form 32 the amount of compensation, which, may not exceed three times the rental value of the cropped area, for the use of the land to be payable by the person to whom possession over the land is transferred. The date by which the standing crops must be harvested and removed from the plot, and the date by which compensation determined must be paid, shall also be fixed by the Assistant Consolidation Officer. Extracts in C.H. Form 32 shall be served on the tenure-holders concerned.

Explanation. - No compensation shall be determined and paid where no sowing season intervenes between the date of delivery of possession and the date fixed for harvesting the standing crops.

(3) After appeals preferred under sub-section (I-A) of Section 29 have been decided, the Assistant Consolidation Officer shall issue certificates of award of compensation to its recipients in C.H. Form 35. He shall also issue a notice in C.H. Form 36 to the payer.]

56. Section 29. - Where the Assistant Consolidation Officer decides that possession of crop shall also be delivered, he shall, in consultation with Consolidation Committee, assess the value thereof after taking into account:

(a) The condition of the crop.

(b) The estimated yield of the crop.

(c) The estimated price which the produce is likely to fetch at the time of harvesting in the unit.

(d) The amount likely to be spent on the crop from the date of transfer to the time of harvesting.

(2) The appraisal mentioned in sub-rule (1) shall be made in the presence of tenure-holders concerned unless they fail to attend despite general notice which shall be given by beat of drum in the unit.

(3) Results of appraisal shall be published by the order of the Assistant Consolidation Officer in C.H. Forms 33 and 34.

(4) [* * *].

(5) After the statements under sub-rule (3) have become final, the Assistant Consolidation Officer shall issue certificates of award of compensation to the recipient in C.H. Form 35 notice where of shall also be given to the Payers in C.H. Form 36.

(6) [* * *].

(7) [* * *].

(8) [* * *].

(8A) [* * *].

(8B) [* * *].

[56A. Sections 28, 29, and 29A. - (1) Without prejudice to the right to recover compensation through any other mode of recovery open to the person entitled to receive it the certificate of award of compensation issued under sub-rule (3) of Rule 55 or sub-rule (5) of Rule 56, as the case may be, may along with an application addressed to the Collector, be presented to the Tahsildar having jurisdiction, within two years from the date recorded on if for recovery of the amount as arrears of land revenue.]

(2) On the certificate of award being presented before him, the Tahsildar shall make a preliminary enquiry to ascertain if the compensation or any part of it is in balance. He shall then submit the result of his enquiry to the Collector for his orders.

(3) When the Collector is satisfied after making such further enquiry as he considers necessary that the compensation or any part of it has not been paid in terms of the certificate of award, he shall authorise realization of the balance as arrears of land revenue.

[56B. Sections 28, 29 and 29A. - The Collector shall not be impleaded as a party to any suit or proceeding for realization of the compensation.]

57. Section 29. - (1) Soon after the delivery of possession, the Assistant Consolidation Officer shall cause to be delivered an outerfoil of the certificate in C.H. Form 26 to the recipient of compensation for trees, wells, buildings or other improvements. The certificate shall show the name of the payer, the amount of compensation and description of property compensated.

(2) Notice of payment of compensation for trees, wells, buildings or other improvements shall also be furnished on the outerfoil in C.H. Form 26 to each payer of compensation, showing the name of recipient, amount of compensation awarded and the description of the property compensated.

(3) As soon as certificates and notices have been distributed, the innerfoils of C.H. Form 26 shall be made over to the Tahsildar having jurisdiction.

[(4) The provisions of Rule 56A shall apply to the recovery of compensation mentioned in C.H. Form 26 as if it were compensation payable under Rule 55 or 56 and as in C.H. Form 26 were the certificate of award of compensation mentioned in those rules.]

(5) Amount of compensation payable to tenure-holders for land contributed for public purposes as determined in [C.H. Form 23] shall, soon after the delivery of possession, be paid by adjustment against the cost of consolidation as determined in the Demand and Collection jamabandi in

[C.H. Form 27] prepared under Rule 61. In cases in which no cost of consolidation is payable by tenure-holders or compensation exceeds cost of consolidation the excess compensation shall be paid to them in cash by the Assistant Consolidation Officer and a record of payment shall be kept by him in C.H. Form 26-A.

58. Section 54. - (1) Where in respect of any document, or notice a specific provision has not been made for obtaining a receipt from the person to whom the documents are issued, or on whom the notice has been served a record of service made on the person concerned by the serving officer shall be kept in C.H. Form 31.

(2) In delivering a document or effecting the service of any document, notice or summon on any tenure-holder or other person, the serving officer, may, where the tenure-holder or the person concerned is not present at his residence at the time of delivery of service or, where he cannot be found after using all due and reasonable diligence or, where he refuses to take the document, notice or summon, effect delivery of service by affixation of the document, notice or summons on the outer door or at some other conspicuous part of the house in which he ordinarily resides, but if he has no such residence in the unit, by affixing a copy of the document, notice or summons at some place of public resort on or adjacent to the land to which such document refers. In either case the serving officer shall get the affixations attested by two residents of the unit. The service or certificates of compensation shall not, however, be made by affixation.

[(3) All Consolidation Lekhpals, peons and the chairmen of the Consolidation Department, and any other employee of the department, who may be so appointed for serving a particular process by the authority issuing it, shall be Serving Officers for purposes of this rule.]

59. [* * *].

60. [* * *].

[61. Section 33. - (1) The Jamabandi for cost of consolidation operations shall be prepared by the Consolidation Lekhpal in C.H. Form 27.

(2) After the Jamabandi of a village has been checked cent per cent both by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer and 20 per cent of its entries have also been checked and initialled by the Consolidation Officer, it shall be sent to Tahsildar for recovery of amounts shown therein as arrears of land revenue.

(3) The cost assessed on a tenure-holder shall be payable by him in two equal instalments -

(a) the first instalment shall become due for recovery with the first land revenue kist falling due after the Provisional Consolidation Scheme has been confirmed by the Settlement Officer, Consolidation under sub-section (1) of Section 23 of the Act; and

(b) the second instalment shall become due for recovery with the next land revenue kist.]

62. Section 54 (2)(i) and (ii). - The Consolidation Lekhpal shall maintain a Proceeding Book in C.H. Form 29 for recording proceedings of the meeting of the Consolidation Committee. He shall also maintain a diary in C.H. Form 30 showing the details of work done by him each day. A diary in this form shall also be maintained by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer.

63. [* * *].

64. [* * *].

Transfer of Cases

65. Section 54. - (1) The Settlement Officer, Consolidation, may withdraw any case from the file of any Consolidation Officer or Assistant Consolidation Officer subordinate to him and may refer the same for disposal to any other Consolidation Officer or Assistant Consolidation Officer competent to deal therewith.

[(1A) The Officer before whom appeals, revisions or references under the provisions of the Act or these rules are instituted may transfer any case

instituted or pending before him to any other officer empowered to hear and decide such case, or recall case pending before any other officer from the file of that officer to his, own file. The District Deputy Director of Consolidation of a district where Joint/Deputy/Assistant Director of Consolidation is posted may call for record of any revision or case pending before such officer for disposal and may transfer it to such officer if he is unable to decide it for some reason.]

(2) The Director of Consolidation may withdraw any case from the file of any Settlement Officer, Consolidation, and refer the same to any other Settlement Officer Consolidation for disposal.

(3) to (5) [* * *].

66. [* * *]

67. Section 27. - The provisions of the Chapter IV of the U.P. Land Revenue Act, 1901, and the rules framed thereunder, to the extent to which they are inconsistent or are not covered by (these rules) shall not applicable to the preparation of a new village map, field-book and the record-of-rights under Section 27 of the Act.

68. Section 27. - If any area, belonging to one village is situated within the boundary of another village the Settlement Officer, Consolidation shall take steps to integrate the former area with the latter village after obtaining orders of the Government under Section 3(25) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, if not done already.

69. Where areas hitherto belonging to more than one village have been integrated to form another village or a part of the village has been constituted as a separate village under Section 3(25) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Settlement Officer (Consolidation) shall cause to be prepared only one set of village map, khasra and record of rights for such an area.

69A. (1) Where a portion of a village forms part of an urban area and it has been decided to make a consolidation scheme only in the other portion of

the village not included in the urban area, two separate sets of village map, khasra and record-of-rights shall be prepared, one, for the consolidation area and the other for the urban area of the village.

(2) The record pertaining to the urban area shall not be final or conclusive and shall be based on the entries in the last record-of-rights available for that area.

(3) In preparing the record of such urban area, the following operations alone shall be carried out:

(a) Re-numbering shall be done in accordance with sub-rule (2) of Rule 88.

(b) A Fard Mutabiqat shall be prepared in C.H. Form 40.

(c) A Khasra Mutabiqat shall be prepared in C.H. Form 41.

(d) Two copies of the khasra, khatauni and Errata List shall respectively be prepared on Forms P3, P11 and P12.

(e) Multiplication of the map and the preparation of the new soil classification map shall be undertaken in accordance with Rule 101 and the record prepared shall be delivered to the Collector for necessary action.

70. Section 51. - Where during consolidation proceedings only one set of record has to be prepared for the area belonging to more than one village, the plot belonging to different village shall be distinguished by suitable Hindi alphabetical prefixes.

71. Section 27 and 54. - (1) The Settlement Officer, Consolidation shall after the final Consolidation Scheme has come into force, but before the notification under sub-section (1) of Section 52, cause to be erected boundary pillars to define the limits of chaks allotted to Bhumidhars and Sirdars including sub-chaks allotted to Asamis and also the areas earmarked for public purposes.

(2) The 'entire' cost of the boundary pillars and erection thereof as determined by the Settlement Officer, Consolidation, from time to time for

each unit shall be payable by the tenure-holders concerned in proportion to the number of chaks allotted to each of them. The Collector shall recover the cost so determined from the tenure-holders concerned as arrears of land revenue.

(3) A jamabandi of cost of pillars and erection thereof shall be prepared in C.H. Form 27-B in duplicate. After checking by the Assistant Consolidation Officer, it shall be handed over through the Settlement Officer, Consolidation to the Tahsildar having jurisdiction for realisation as arrears of land revenue.

72 and 73. [* * *]

74. [* * *]

75. [* * *]

76. [** *]

77. to 80. [* * *]

81. [* * *]

82. Section 27. - The Consolidation Lekhpal shall ensure that boundaries of (i) chaks (ii) area allotted to asami within the chak and (iii) land set apart for public purposes are correctly shown in the map according to the [Final] Consolidation Scheme. Mistakes detected should be brought to the notice of the consolidator for correction.

83. Section 27. - The Consolidation Lekhpal shall also examine the conventional signs shown in the map and make necessary correction in respect of all the signs prescribed in the Appendix attached to these rules.

84. [* * *].

[85. Section 27. - (1) After the map has been brought up to date in accordance with the provisions of the foregoing rules, it shall form the basis of renumbering of plots. Each chak shall unless it has been broken into parts by a natural or other physical barrier, in which case each part shall be

numbered separately, bear a single serial number. Bhumidhari and sirdari areas falling within a chak bearing a single serial number shall be indicated in the map by a broken line made up of small dashes. The bhumidhari and the sirdari portion shall be indicated by the letter (v) and (c) respectively in the map. The holding of an asami within a chak shall also be similarly indicated except that in such the words (vl) and (cl) shall be written in the map to indicate respectively the asami rights held in bhumidhari or sirdari portions of the holding of the principal tenure-holder.

(2) Renumbering of plots shall be done in one continuation for the whole of the revenue village, except as provided in sub-rule (3). It shall start from the north-west corner and shall end in the south-east corner of the village. Kudans in renumbering must be avoided, but if any Kudans have occurred a note about them shall be made on the margin of the map.

(3) Where the consolidation area is only a part of the village it shall be renumbered independently of the other part consisting of non-consolidation area. The Secretary, Board of Revenue shall be informed of the position with regard to the non-consolidation area for such action as he considers necessary.

(4) Where any area other than an urban area, to which the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, does not apply, is situated in a village under consolidation, renumbering shall be done in the entire revenue village in one continuation.]

86. Section 27. - The Consolidator shall check cent per cent and the Assistant Consolidation Officer 25 per cent of the works done by the Consolidation Lekhpal under [Rules 82, 83 and 85]. [The Consolidation Officer shall also check it to satisfy himself that the work has been correctly done.]

87. [* * *]

88. [* * *]

89. [* * *]

90. Section 27. - (1) The Consolidator shall thereafter cause a final map to be prepared showing only the new numbers, their boundaries and, where necessary, conventional signs. It shall be checked by the Consolidator, Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Officer before it is signed by the Settlement Officer. Consolidation whose designation shall be mentioned below his signature. The final map, thus prepared shall after copies thereof have been traced out as laid down in sub-rule (2), be sent to the press for reproduction where such reproduction is necessary in view of the provisions of Rule 101. On being received back from the press, the final map shall be placed in the Consolidation Volume meant for the Collector's Record Room.

(2) Two copies of the final map shall be traced out. In these copies the boundaries of the old plots existing within a new plot shall be indicated by dotted lines without the serial numbers of the old plots being shown there in the existing soil classes shall also be marked within thick red lines on these maps, the different soil classes being described by the suitable abbreviations written boldly in red ink over each kind of soil. The copies thus traced out shall be checked by the Consolidator, the Assistant Consolidation Officer and the Consolidation Officer before these are checked and signed by the Settlement Officer, Consolidation. A copy of this map shall be placed in each of the two Consolidation Volumes mentioned in Rule 100-A.

91. [* * *]

92. [* * *]

[93. The Consolidation Lekhpal shall prepare in duplicate Khasra Mutabiqat in C.H. Form 41 in the sequence of new number showing details of soil classification also after renumbering has been done and checked by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer.]

94. [* * *].

95. [* * *].

96. [* * *].

97. Section 27. - The Consolidation Lekhpal shall, with help of the Khasra Mutabiqat and other relevant records mentioned in sub-section (1) of Section 27, prepare the Khatauni in C.H. Form 45 in duplicate.

[98. The Khasra Mutabiqat and the Khatauni in C.H. Form 45 prepared by the Consolidation, Lekhpal shall be checked cent per cent by the Consolidator. 25 per cent of the entries of these records shall be checked by the Assistant Consolidation Officer and five per cent by the Consolidation Officer. The Khatauni in C.H. Form 45 shall then be published in the village.

99. Section 27. - After the khatauni has been prepared new khata numbers shall be entered in Column 5 of Khasra Mutabiqat.]

[100. All cuttings and overwritings in the Khasra Mutabiqat and the Khatauni shall be signed and dated by the person responsible for such cuttings and overwritings and also by the Assistant Consolidation Officer. There shall be no erasures anywhere.

An Errata List in respect of each of the record mentioned above shall be prepared by the Consolidation Lekhpal in C.H. Form 6-B and shall be attested by the Consolidator. It shall also be signed by the Assistant Consolidation Officer. Such a list after being signed by the Settlement Officer, Consolidation shall be attached to each copy of the record when it is bound.]

[100A. The Khasra Mutabiqat along with the final village map and the Khatauni in C.H. Form 41 shall constitute the Consolidation Volume. Two such volumes shall be prepared. One of it shall be consigned to the Collector's Record Room and the other shall be delivered to the Tahsildar for being made over to the Lekhpal. Thereafter the Director of Consolidation shall take steps to notify the village under Section 52.]

101. Section 27. - (1) As soon as may be, the Settlement Officer, Consolidation, shall issue a notice asking those members of the public,

who want to purchase copies of the village maps which are proposed to be reproduced mechanically to apply for them by a date to be fixed by the Settlement Officer, Consolidation. The Settlement Officer, Consolidation, shall also indicate in the notice the charges fixed for the supply of each copy.

(2) From the map prepared under Rule 90, the following number of copies will be reproduced mechanically.

(a) For revenue and land records purposes Two blue prints, six copies on cloth and four copies on paper.

(b) For sale Four copies on cloth, or if the Settlement Officer, Consolidation, so decides, more considering the local requirements in addition to the number actually asked for.

(3) The map prepared under Rule 90, together with two blue prints shall be forwarded to the Director of Land Records.

(4) [* * *].

(5) [* * *].

(6) [* * *].

[101A. In the copies of the final map prepared under Rule 90 the Settlement Officer, Consolidation shall cause the existing soil classes to be marked within thick red lines the different soil classes being described by suitable abbreviations written boldly in red ink over each kind of soil. The map besides being checked and signed by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer, shall be checked and signed by the Settlement Officer, Consolidation also.]

102. [* * *].

103. [* * *].

104. Section 27. - (1) Where a joint Consolidation Scheme has been prepared for any area belonging to more than one village, the Assistant Consolidation Officer shall cause to be prepared a statement in C.H. Form 44 showing:

(a) The land revenue and [anna valuation] in each such village pertaining to a tenure-holder in each class of tenure.

(b) The [anna valuation] allotted to such a tenure-holder in each class of tenure in each such village.

(c) The future land revenue payable in each class of tenure in each such village by the tenure-holder calculated in accordance with the principle that such land revenue shall bear the same proportion to the total of land revenue paid in that class of tenure in all such villages as the [anna valuation] allotted in that village in that class of tenure bears to the total of the [anna valuation allotted to] him in that class in such villages.

N.B. - Anna valuation of such plots only, as have been under consolidation, shall be taken into account.

(2) The statement shall be checked cent per cent by the Consolidator, 20 per cent by the Assistant Consolidation Officer and 5 per cent by the Consolidation Officer. It shall then be published in the village. [* * *] Objections made by any person concerned with any entry therein, if made within ten days of the date of publication, shall be heard and finally decided by the Assistant Consolidation Officer, subject, however, to the confirmation of the statement by the Settlement Officer, Consolidation.

(3) As soon as the statement in C.H. Form 44 has been confirmed by the Settlement Officer, Consolidation, entries shall be made accordingly in the khatauni prepared in Rule 97 for each of such village.

105. Section 54. - The State Government shall determine the manner in which the records of all cases and proceedings dealt with under the Act shall be disposed of.

106. [* * *].

107. [* * *].

108. Section 54. - (1) Extracts from the records of the basic year or those published under Section [10(1)] shall be issued by the Consolidation Lekhpal. His remuneration for the issue of such extracts shall be the same as prescribed in the Land Records Manual.

(2) An application for a copy of the Statement of Principles prepared under Section [8-A] shall be made to the Assistant Consolidation Officer with a copy-stamp of Rs. 2.50 for each copy.

(3) A copy of an allotment order [* * *] may be issued by the Consolidation Lekhpal on payment to him as his remuneration a fee of Rs. 0.25 paise per copy.

(4) Application for copies of maps and final documents prepared under the provisions of the Act not covered by sub-rules (1) to (3) shall be made to the Assistant Consolidation Officer, or in respect of copies of judgments statement, etc., forming part of judicial proceedings, shall be made to the Presiding Officer of the Court concerned and shall be charged for according to the scale of fee and in the manner laid down in Chapter IX of Manual of Orders of Government of U.P. in the Revenue Department.

109. Section 27. - The [Consolidation Scheme] in respect of a village prepared voluntarily by the tenure-holders of the village shall be submitted for consideration to the Deputy Director, Consolidation in C.H. Form 23-A (Parts I and II) and shall be accompanied by the copies of the Field Book and the village annual register on which it is based as also by a copy of the map of the village showing the details of the proposals incorporated in Consolidation Scheme.

[109A. Section 52(2). - (1) Orders passed in cases covered by sub-section (2) of Section 52 shall be given effect to by the consolidation authorities, authorised in this behalf under sub-section (2) of Section 42. In case there be no such authority the Assistant Collector, incharge of the sub-division,

the Tahsildar, the Naib-Tahsildar, the Supervisor kanungo, and the Lekhpal of the area to which the case relates shall, respectively, perform the functions and discharge the duties of the Settlement Officer, Consolidation, Consolidation Officer, the Assistant Consolidation Officer, the Consolidator and the Consolidation Lekhpal respectively for the purpose of giving effect to the orders aforesaid.

(2) If for the purpose of giving effect to any order referred to in sub-rule (1) it becomes necessary to reallocate affected chaks, necessary orders may be passed by the Consolidation Officer, or the Tahsildar, as the case may be, after affording proper opportunity of hearing to the parties concerned.

(3) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer, or the Tahsildar, as the case may be, may, within 15 days of the order passed under sub-rule (2), file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, or the Assistant Collector incharge of the sub-division, as the case may be, who shall decide the appeal after affording reasonable opportunity of being heard to the parties concerned, which shall be final.

(4) In case delivery of possession becomes necessary as a result of orders passed under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, the provisions of Rules 55 and 56 shall, *mutatis mutandis*, be followed.]

[109B. - (1) Where more than one case or proceeding involving substantially the same question for determination and based on the same cause of action are pending before two or more consolidation authorities, they shall, upon an order passed on an application made by any party to, or suo motu by, the authority to which the authorities, before whom cases or proceedings are pending, are all subordinate, be consolidated before one authority and decided by a single judgment.

(2) A consolidation authority may consolidate suo motu case or proceedings pending before it, if it is satisfied, for reasons to be recorded, that such a course is necessary for a proper and expeditious disposal of the cases or proceedings and that it would not prejudice the interest of any party to the case or the proceeding.]

110. Section 3(4). - The Director of Consolidation shall exercise powers of supervision and, superintendence over the staff employed in the consolidation organization of the State and may for that purpose issue such directions as may be necessary.

[111. Sections 48 and 54. - An application under Section 48 of the Act shall be presented by the applicant or his duly authorised agent to the Joint/Deputy/Assistant Director of Consolidation, nominated by the Director of Consolidation, Uttar Pradesh for the District or Settlement Officer (Consolidation) unit concerned or failing posting of any such Joint/Deputy/Assistant Director of Consolidation in the district, to the District Deputy Director (Consolidation) within 30 days of the order against which the application is directed. It shall be accompanied by copy of the judgment or order in respect of which the application is preferred. Copies of judgment or order, if any, of other subordinate authorities in respect of dispute shall also be filed alongwith the application.]

112. Section 54. - (1) Proceedings which under the provisions of Section 49 of the U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1958 are to be conducted and concluded in accordance with the provisions of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (U.P. Act V of 1954) as it stood immediately before this amendment by the Amendment Act of 1958 shall be governed by the Rules of 1954 as they stood immediately before amendments made in those rules through Notification No. 160-CH/IA-280-58, dated April 16, 1959.

[(2) Proceedings which, under the provisions of sub-section (1) of Section 47 of the U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1963 (VIII of 1963), are to be conducted and concluded in accordance with the provisions of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (V of 1954) as it stood immediately before its amendment by the U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act (VIII of 1963) shall be governed by the rules as they stood immediately before their amendment through Notification No. 437-CH/I-E-256-61, dated March 25, 1964 :

Provided that the provisions of Rules 3, 3-A, 14, 55, 56, 56-A, 57, 58, 61, 65, 85, 86, 90, 100, 101, 101-A and 109-B as they stand after their amendment through the notification aforesaid shall apply, and the provisions of Rules 87, 88 and 89 deleted by the said notification shall not apply, to the work in regard to or connected with consolidation operations even to units covered by sub-section (1) of Section 47 of the U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act (Act VIII of 1963).

Explanation. - The forms applicable to any proceedings shall accord with the rules applicable to such proceedings under sub-rule (1) or sub-rule (2) of this rule.]

[113. (i) The Assistant Consolidation Officer shall prepare the draft plan referred to in Section 52A of the Act on the basis of the entries in the current Khasra, Khatauni and the map.

(ii) Where any entry in the records mentioned in sub-rule (1) is modified in pursuance of an order passed under any law, the Assistant Consolidation Officer shall make a reference to the order and note its operative portion against the said entry. The entries so corrected shall be taken into account in the preparation of the draft plan.]

[114. Section 52A. - Where, in order to provide a chak road or chakgul, rearrangement of chaks becomes necessary, the Assistant Consolidation Officer shall determine the exchange ratio of the plots or parts of plots of a holding or of land vested in the Gaon Sabha likely to be affected by such rearrangement by ascertaining the productivity, location and existing soil class of the plot or plots and by spot verification in the company of as many tenure-holders of the unit as he may be able to collect. The exchange ratio so determined shall be mentioned in column 4 of C.H. Form 23-B, Part-I and column 12 of the C.H. Form 23-B, Part-II, as the case may be.]

[115. Section 52A. - The amount of compensation payable to tenure-holders wherever necessary, would be calculated in C.H. Form 23-B (Part-III).]

[116. (1) The draft plan referred to in Rule 113 shall be prepared in C.H. Form 23-B (Part I) and C.H. Form 23-B (Part II).

(2) The draft plan as prepared under sub-rule (1) shall then be published in the village in accordance with Section 3 (8). Relevant extracts of the draft plan shall also be issued to the tenure-holders concerned or the Chairman of Land Management Committee, as the case may be.

117. Section 52A. - After confirmation of the plan by the Settlement Officer, Consolidation under sub-section (8) of Section 52A, it shall be published in accordance with sub-section (8) of Section 3 and allotment orders shall be issued in C.H. Form 23-C to the tenure-holders concerned or the Chairman of the Land Management Committee, as the case may be.

118. Section 52A. - The plan, as confirmed by the Settlement Officer, Consolidation under sub-section (8) of Section 52A, shall be given effect to by the Lekhpal in the current map and records in the manner indicated in sub-rule (2) of Rule 113. The entries made by the Lekhpal shall be checked, dated and signed by the Consolidator and the Assistant Consolidation Officer in respect of which the application is preferred.]

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954

अध्याय - 1

1. **संक्षिप्त शीर्ष** - इन नियमों का नाम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 होगा।
2. **प्रसार और प्रारम्भ** - ये नियम उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होंगे, जिनमें और जब से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (सं0 5, सन् 1954) की धारा 1 को छोड़कर, प्रवृत्त किया जाय।
3. **परिभाषायें** - विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल (Repugnant) न होने पर इन नियमों में --

(1) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (सं0 5 सन् 1954) से है;

¹[(1-क) “आधार खसरा” और “खतौनी” का तात्पर्य क्रमशः किसी ग्राम के ऐसे खसरा और खतौनी से है, जो धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के जारी होने के समय चालू हों;

(1-ख) “आधार वर्ष” का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिससे सम्बन्धित आधार खसरा और आधार खतौनी हों ;]

(2) “धारा” का तात्पर्य जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा से है;

(3) (3-क), (3-ख) तथा (4) ²[***]

³[(5) “कटक”(Unit) के “मानक गाटों”(Standard plots) का तात्पर्य नियम 20-क के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित गाटों से है;]

⁴[(6) “विनिमय अनुपात” का तात्पर्य किसी गाटे के प्रति बीघा या एकड़ या हेक्टेयर पैसा मूल्य से है, जो (1-क) के मानक गाटे के एक बीघा या एकड़ या हेक्टेयर के सापेक्ष हों।]

स्पष्टीकरण - (क) मानक गाटे का पैसा मूल्य 100 पैसा होगा।

(ख) समस्त गाटों का विनिमय अनुपात 100 पैसे और 10 पैसे के बीच के गुणन में व्यक्त किया जाएगा।

टिप्पणी - यह वहीं लागू होगा जहाँ उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना अब जारी की गयी हो या जहाँ अधिसूचना जारी की गयी हो किन्तु मूल्यांकन कार्य पूरा न किया गया हो।

1- विज्ञप्ति सं0 437-सी0-एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा खण्ड(1-क) तथा (1-ख) बढ़ाए गए।

2. विज्ञप्ति संख्या 8860/आई0-ए0-513-56, दिनांक 24-1-1957 द्वारा निरसित।

3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा परिवर्तित।

4. विज्ञप्ति सं0 65/24/80(357)- सं0 8, दिनांक 28-4-1981 द्वारा रखा गया।

3-क. [धारा 3 (2-कक)]-¹[(1) प्रत्येक कटक के लिए एक चकबन्दी समिति होगी जिसमें कम-से-कम 5 और अधिक-से-अधिक 11 सदस्य होंगे। उन मामलों में जिसमें उपनियम (4) के उपबन्धों को देखते हुए, सदस्यों का निर्वाचन आवश्यक हो जाय, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) कटक के खातेदारों की कुल संख्या और कटक पर क्षेत्राधिकार रखने वाली भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या निश्चित करेगा, जो 7 से अधिक न होगी। ये सदस्य कटक के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों की भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों में से निर्वाचित किये जाएंगे, जो उपनियम (3) में नियत योग्यतायें रखते हों। समिति को और प्रतिनिधिक बनाने के उद्देश्य से बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) कटक के खातेदारों में से अधिक-से-अधिक 4 ऐसे सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जो आवश्यक योग्यतायें रखते हों। नामांकित सदस्यों में से एक 1951 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 297 के अधीन निबद्ध सहकारी फार्म या फार्मों का प्रतिनिधि हो सकता है, यदि कटक में कोई हो। निर्वाचन तथा नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त कटक में तैनात किया गया ग्राम सेवक (Village level worker) या तैनात किये गये ग्राम सेवक समिति के पदेन सदस्य होंगे, किन्तु उसे/उन्हें मत देने का अधिकार न होगा।

(2) ²[***]।

(3) चकबन्दी समिति के सदस्यों का शिक्षित होना अच्छा होगा और उनके लिए आवश्यक है कि वे--

(क) 21 वर्ष की आयु से कम न हों, तथा

(ख) कटक के अन्तर्गत खेती करते हों:

किन्तु प्रतिबन्ध है कि यदि निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षित संख्या को पूरा करने के लिए कटक में खेती करने वाले भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष सदस्य भूमि प्रबन्धक समिति के अन्य सदस्यों में से निर्वाचित किये जा सकते हैं :

³[प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (1) और (2) में उल्लिखित शर्तें पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होंगी।]

(4) जब कटक में केवल एक ही ग्राम हो और ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न हो, तो भूमि प्रबन्धक समिति के सभी सदस्य चकबन्दी समिति के सदस्य हो जाएंगे। उन दशाओं में जब तक ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो या जब कटक में एक से अधिक ग्राम हों और उनकी सब भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों को मिलाकर संख्या 5 से अधिक हो, तो चकबन्दी अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के ⁴[सदस्यों को], जैसी भी दशा हो, उपनियम (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा दी गई आज्ञाओं के अनुसार निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की आज्ञा देगा।

1- विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।

2- विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित।

3- विज्ञप्ति सं0 437 सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।

4- उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) उन दशाओं में, जब चकबन्दी समिति का निर्वाचन केवल एक ही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाए, भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, यदि वह चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए, चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अन्य दशाओं में, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा उपनियम (1) के अनुसार सदस्यों के, यदि कोई हों, नामांकन के पश्चात् समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

¹[**(5-क)** उन दशाओं में जब चकबन्दी समिति का निर्वाचन केवल एक ही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाय, भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) यदि वह चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए, चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर या इसके पश्चात्, किसी भी समय चकबन्दी समिति के अध्यक्ष का कार्य करने से इन्कार करे अथवा पद त्याग करे, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा और समिति के सदस्य अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(5-ख) उन दशाओं में, जो खण्ड (क) के अन्तर्गत न आते हों, चकबन्दी समिति के सदस्य, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा उपनियम (1) के अनुसार नामांकन, यदि कोई हो, करने के पश्चात् अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।]

(6) (क) निर्वाचन चकबन्दीकर्ता द्वारा संचालित किये जायेंगे और भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1963 के नियम 3 से 10 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन के संचालन से क्षुब्ध कोई व्यक्ति निर्वाचन के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(7) इस प्रकार संगठित चकबन्दी समिति उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने तक कार्य करेगी, जब तक उपनियम (9) के उपबन्धों के अधीन उसका पुनः संगठन न किया जाए या उसके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी नियुक्त न किया जाए अथवा भूमि प्रबन्धक समिति या भूमि प्रबन्धक समितियों में से किसी समिति का, यदि चकबन्दी समिति एक से अधिक भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा निर्वाचित की गई हो, कार्यकाल समाप्त न हो जाए। पश्चात्तवर्ती दशाओं में चकबन्दी समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नयी भूमि प्रबन्धक समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समितियाँ, जैसी भी दशा हो, दूसरी चकबन्दी समिति का निर्वाचन न कर लें :

1. विज्ञप्ति सं0 31/1/65-आई0-ई0, दिनांक 21-4-1969 द्वारा जोड़ा गया।

¹[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के सम्बन्ध में नयी निर्वाचित भूमि प्रबन्धक समिति के धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व, दूसरी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने की सम्भावना हो, जो चकबन्दी संचालक उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, यह अपेक्षा कर सकता है कि पहले से ही संगठित चकबन्दी समितियाँ उस समय तक कार्य करती रहेंगी, जो वह निर्दिष्ट करे।]

(8) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस पर 1951 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117-क की उपधारा (2) प्रवृत्त होती हो, कलेक्टर सम्बद्ध स्थानिक प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, सम्बद्ध क्षेत्र के निवासियों में से योग्य सदस्यों की वह संख्या, जो पाँच से कम या ग्यारह से अधिक न हो, जैसा कि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अवधारित की गयी हों, नामांकित करेगा।

²[(9) (क) यदि उपनियम (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा नामांकित व्यक्तियों के स्थानिक प्राधिकारिकी का अध्यक्ष भी हो, तो वह चकबन्दी समिति के रूप में भी कार्य करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्थानिक प्राधिकारिकी को अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में अपना नामांकन होने पर, या इसके पश्चात् किसी भी चकबन्दी समिति का काम करने से इन्कार करे या पद त्याग करे, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा और समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(ख) ऐसे मामलों में, जो खण्ड (क) के अन्तर्गत न आते हों, समिति के कलेक्टर द्वारा नामांकित समिति के सदस्य, अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।]

³[(10) यदि किसी समय जिला उप-संचालक, चकबन्दी को इस बात का पता चलता है कि--

(i) अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन अधिसूचित इकाई में कोई भूमि प्रबन्धक समिति नहीं है या यह कि भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों ने समुचित समय के भीतर चकबन्दी समिति के सदस्यों को नियत संख्या में निर्वाचित नहीं किया है, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को, जिनकी संख्या 2 से कम न होगी, नामांकित कर सकता है और चकबन्दी समिति में उक्त व्यक्ति होंगे और ऐसे नामांकन की सूचना इकाई में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी और ऐसी सूचना को सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चिपकाया जायेगा; या

(ii) चकबन्दी समिति ने बिना किसी समुचित कारण या हेतु के अधिनियम या नियमावली द्वारा आरोपित या अभ्यर्पित कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने से इन्कार कर दिया है या उन्हें इन्कार करने में विफल रहा है, अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं कि चकबन्दी समिति

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।
2. विज्ञप्ति सं0 31/1/65-आई0-ई0, दिनांक 21-4-1969 द्वारा उपनियम(9) प्रतिस्थापित।
3. विज्ञप्ति सं0 21/1/76-रेवेन्यू-8, दिनांक 23-7-1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने में असमर्थ हो गई है तो वह, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार एक नई चकबन्दी समिति संगठित कर सकता है, या उतने व्यक्तियों को जिनकी संख्या दो से कम न होगी, नामांकित कर सकता है, जिन्हें वह नई समिति संगठित करने के लिए उचित समझे।]

¹[(11) चकबन्दी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष का त्याग-पत्र, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

(12) (क) चकबन्दी समिति में सदस्यों की रिक्ति पूर्ति --

- (1) भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों द्वारा, जैसी भी दशा हो, उपनियम (6) में दी गई रीति से निर्वाचन करके, यदि बहिर्गामी सदस्य कोई निर्वाचित सदस्य रहा हो, की जाएगी;
- (2) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी या कलेक्टर द्वारा, जैसी भी दशा हो, नामांकन करके, यदि बहिर्गामी सदस्य नामांकित सदस्य रहा हो, की जाएगी।

(ख) चकबन्दी समिति के अध्यक्ष की पदरिक्ति की पूर्ति उपनियम (5) या उपनियम (9) में, जैसी दशा हो, दी गयी रीति से की जाएगी।]

4. [धारा 3 (8)] - उस नोटिस की तामील करने में, जिसमें कटक में किसी लेख्य के प्रकाशन के दिनांक की सूचना दी गई हो, तामील करने वाला अधिकारी, जब भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य तामील के समय अपने निवास-स्थान पर उपस्थित न हो, अथवा जब सभी उचित और तदर्थ श्रम के पश्चात् भी वह न मिले, तो उस घर के, जिसमें वह सामान्यतया निवास करता हो, या व्यवहार करता हो अथवा लाभ के लिए स्वयं काम करता हो, बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकाकर उसकी तामील करेगा।

4-क तथा 5 से 12. ²[***]

13. ³[***]

14. [धारा 54]- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से अधिनियम के अधीन चकबन्दी की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के निमित्त ऐसे खातेदारों के सम्बन्ध में, जो अवयस्क जड़बुद्धि (Idiot) या पागल हो, संरक्षक(gaurdian) नियुक्त करेगा, यदि संरक्षक समर्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही नियुक्त न कर दिया गया हो।

-
1. विज्ञप्ति सं० 31/1/65-आई०-ई०, दिनांक 21-4-1969 द्वारा उपनियम (11) तथा(12) अन्तःस्थापित।
 2. विज्ञप्ति सं० 160-सी० एच०/आई०-ए०-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निरसित।
 3. विज्ञप्ति सं० 5504/आई०-ए०-511-55, दिनांक 25-1-1956 द्वारा निरसित।

¹[(2) उपनियम (1) के अधीन अवयस्क, जड़ या पागल के लिए नियुक्त संरक्षक, उसका स्वाभाविक संरक्षक होगा, जब तक कि स्वाभाविक संरक्षक ऐसा स्वत्व रखता हो, जो अवयस्क, जड़ या पागल के स्वत्व के प्रतिकूल हो। यदि स्वाभाविक संरक्षक इस प्रकार नियुक्त न किया जाए, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् अवयस्क, जड़ या पागल के ऐसे निकटतम पुरुष सम्बन्धी को, जो उसके सम्बन्ध में प्रतिकूल स्वत्व न रखता हो, उसका संरक्षक नियुक्त करेगा।]

(3) ऐसे सब संरक्षकों या प्रतिनिधियों की एक सूची उनके संरक्षितों(wards) के नामों के सहित सम्बद्ध ग्राम में प्रकाशित की जाएगी और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उक्त संरक्षित से सम्बन्ध हो, ऐसे प्रकाशन के 15 दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति कर सकता है [जिसकी आज्ञा, धारा 48 के अधीन दी गयी आज्ञाओं के अनुसार किये गये परिष्कार, यदि कोई हो], के अधीन, अन्तिम होगी।

15. ²[***]।

अध्याय -- 2

16. ³[निरसित]

⁴[16-क. [धारा (5-क)] - (1) इस तथ्य (Fact) को ध्यान में रखते हुए कि किसी कटक के लिए ⁵[चकबन्दी योजना तैयार करने के पूर्व, चकबन्दी क्रियाओं के अधीन ग्राम का नक्शा, खसरा व वार्षिक रजिस्टर अधिनियम की धाराएँ 7 से 11 तक के उपबन्धों के अधीन पूर्णरूप से पुनरीक्षित किया जायेगा। जिला उप-संचालक (चकबन्दी) के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह किसी ग्राम की चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रहने की अवधि में, इन अभिलेखों को प्रतिवर्ष तैयार कराए। वर्तमान अधिकारों का अभिलेख रखने के लिए, वह वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित समस्त आदेशों को रजिस्टर में, इस प्रयोजन के लिए अभिप्रेत स्तम्भों में लाल स्याही से अंकित कराकर धारा 10(1) के अधीन प्रकाशित अभिलेखों को आद्यावधिक कराएगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक नया अधिकार अभिलेख तैयार न किया जाय।

(2) राजस्व परिषद् (Board of Revenue) द्वारा निर्विष्ट महत्वपूर्ण खरीफ और रबी की फसलों के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए चकबन्दी लेखपाल द्वारा नियतकालिक (Periodical) पड़तालें, प्रत्येक वर्ष उस अवधि में की जाएगी, जब कि ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अधीन हो, इन पड़तालों के परिणाम लेखपाल द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए

1. विज्ञप्ति सं० 437 -सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. विज्ञप्ति सं० 437 -सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित।
3. विज्ञप्ति सं० 437 -सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित।
4. विज्ञप्ति सं० 437 सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. विज्ञप्ति सं० 160-सी०एच०/आई०ई०-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा अन्तःस्थापित।

तैयार किए गए पृथक् चिट्ठे में संचालक के सामान्य अनुदेशों के अनुसार अभिलिखित किये जाएंगे। कोई जायद (zaid) पड़ताल नहीं की जाएगी। राजस्व परिषद् द्वारा निर्दिष्ट सभी फसलों के सम्बन्ध में खरीफ और रबी के जिन्सवार, चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किये जाएंगे और चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध तहसील के पास, उन दिनांकों तक भेज दिए जाएंगे, जो जमींदारी अभिलेख नियमावली में सुपरवाइजर कानूनगो के लिए खरीफ तथा रबी की फसल के विवरण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए नियत हैं-

(क) जोत, मालगुजारी तथा लगान के विवरण-पत्र; तथा

(ख) क्षेत्र विवरण-पत्र में दिये गये आँकड़े, आधार वर्ष के लिए, यदि संकलित (Compiled) किये गये हों अथवा पूर्ववर्ती के लिए ग्राम की चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में प्रतिवर्ष दोहराए जाएंगे।

16-ख. [धारा 5 (ग)] - बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा 5-ग(2) में अभिदिष्ट अनुज्ञा (Permission) प्रदान करेगा, जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, उसका यह समाधान न हो जाय कि प्रस्ताव संक्रमण से चकबन्दी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

विज्ञप्ति का रद्द किया जाना

17. [धारा 6 (क)] - अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई ¹[विज्ञप्ति] अन्य कारणों के साथ, निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक आधारों पर समस्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में रद्द की जा सकती है, अर्थात्:

(क) क्षेत्र इस प्रकार की विकास योजना के अधीन है कि उसके पूर्ण होने पर उसमें चकबन्दी क्रियाएँ, किसानों के लिए अन्यायपूर्ण हो जाएंगी;

(ख) ग्राम की जोतों की किसी-न-किसी कारण से पहले ही चकबन्दी हो चुकी है और खातेदार सामान्यतः वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं;

(ग) ग्राम में दलबन्दी है, जिसके कारण ग्राम में उचित रूप से चकबन्दी कार्यवाहियाँ करना बहुत कठिन है;

(घ) क्षेत्र की सारी भूमि को तदर्थ एक करने के बाद उस क्षेत्र में खेती करने के लिए एक सहकारी समिति बनाई जा चुकी है।

18. [धाराएं 7 और 54 (2) (घ)] - (क) चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखे गये कटक के ग्राम के नक्शे का पुनरीक्षण या तो--

(1) नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक खेत की, जैसा कि वह नक्शे में दिखाया गया हो, तुलना-स्थल पर उसकी आकृति और परिणाम से की जाती है और जहाँ आवश्यक हो, नक्शे में दी गई आकृति और परिणाम से आवश्यक नाप-जोख के पश्चात् संशोधन किये जाते हैं; या

(2) पूर्ण व्यवसायिक मापन (पुनः मापन) द्वारा किया जायेगा। अतएव जिला चकबन्दी संचालक, यदि उसे पहले ही से आवश्यक सूचना प्राप्त न हो हुई हो, अपने जिले में चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखे गये समस्त कटकों के ग्राम के नक्शों की दशा के बारे में जाँच कराएगा और ऊपर बताई गई दो रीतियों में से किसी एक में नक्शों को आद्यावधिक (Up-to-date) करने के लिए ग्रामों को चुनेगा। वह फिर नक्शों को तदनुसार पुनरीक्षित करवाने की कार्यवाही करेगा।

1. विज्ञप्ति सं0 437 सी0एच0/आई0-ई0 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) ग्राम का व्यवसायिक मापन करने में 'मैनुअल फार दी रिवीजन आफ मैप्स ऐण्ड रेकार्ड्स' के अध्याय 6 और 9 में समाविष्ट अनुदेश और नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा नक्शा को पुनरीक्षित करने में उसके अध्याय 7 और 9 में समाविष्ट अनुदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे।

(ग) ¹[***]

²[(घ) नक्शे के साधारण संशोधन का कार्य चकबन्दी लेखपाल द्वारा किया जायेगा। इसकी जाँच संचालक के तत्समय प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्रामों की खेतवार पड़ताल करते समय की जाएगी।

(ङ) समकोण ग्राम में व्यवसायिक मापन और समकोण का कार्य समकोणकार द्वारा किया जाएगा जिसके कार्य की जाँच सहायक समकोण अधिकारी और समकोण अधिकारी करेंगे।]

19. [धाराएँ 8 तथा 54 (2) (घ)] - चालू वार्षिक रजिस्टर को समस्त प्रविष्टियों की शत-प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा उन्हें विगत वार्षिक रजिस्टर या रजिस्ट्रों और सम्बद्ध खसरो तथा पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय तैयार किये गए अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों में भी मिलाकर की जायेगी। पाई गई अशुद्धियाँ तथा विवाद भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जाएंगे।

20. [धाराएँ 8 तथा 54 (2) (घ)] - नियम 19 में नियत रीति से वार्षिक रजिस्टर की जाँच हो जाने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता द्वारा वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों की सत्यता की परीक्षा पूर्णरूप से की जाएगी। यह कार्य ग्राम में अभिलेख को पढ़कर और उसकी प्रत्येक प्रविष्टि को, ग्राम में ही कहीं पर यथासम्भव अधिकाधिक संख्या में एकत्रित हुए खातेदारों को समझा कर किया जाएगा। वह सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के विचार भी, संयुक्त जोतों में उनके अंशों के सम्बन्ध में मालूम करेगा। पाई गई अशुद्धियाँ तथा विवाद और सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इंगित किये (Indicated) अंश भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जाएंगे।

³[20-क. (क) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दीकर्ता द्वारा किये गये वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण और सत्यापन कार्य की जाँच करेगा और धारा 8-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार कटक के लिए "मानक गाटों" का अवधारण भी करेगा।

1. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा उपनियम (घ) तथा (ङ) प्रतिस्थापित।
3. विज्ञप्ति सं० 113/8 -73- रा/8, दिनांक 27-10-1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) “मानक गाटों” की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7-ख में तैयार की जायेगी और ग्राम के नक्शे की एक प्रति के साथ प्रकाशित की जाएगी, जिसमें “मानक गाटों” को लाल स्याही से दिखाया जाएगा। सूची प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियाँ ग्राम के मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। वह अपनी रिपोर्ट के साथ आपत्तियों को चकबन्दी अधिकारी के पास भेज देगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने और स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(ग) उपनियम (ख) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने, और यदि आवश्यक हो, स्थल पर निरीक्षण करने, के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा। बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की आज्ञा अंतिम होगी और उस पर आपत्ति न की जा सकेगी।]

21. [धारा 8] - नियम ¹[19, 20 और 20-क] में नियत वार्षिक रजिस्टर की जाँच और परीक्षा करने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी समिति के साथ तथा ग्राम के जितने खातेदारों को वह एकत्र कर सके, उनके साथ सभी गाटों की खेत में जाकर पड़ताल करेगा और परिणामों को वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा

²[* * *] चकबन्दी में दर्ज करेगा। पड़ताल के समय पायी गयी अशुद्धियाँ तथा विवाद भी साथ-ही-साथ भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे।

³[22. [धारा 8] - नियम 19, 20 और 21 में उल्लिखित अशुद्धियों और विवादों की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दो भागों में तैयार की जाएगी। भाग 1 में लिपिक अशुद्धियाँ रहेंगी और भाग 2 में ऐसी अन्य अशुद्धियाँ और विवाद रहेंगे, जो नियम 19 से 21 तक में अभिदिष्ट वार्षिक रजिस्टर की जाँच और सत्यापन तथा खेतवार पड़ताल के दौरान में मालूम हुए हों। संयुक्त जोतों में अभ्यर्पित अंशों के व्यौरे भी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 के भाग 2 में अभिलिखित किये जाएंगे।

[23. [धारा 8 और 54 (2) (घ)] - ग्राम की खेतवार पड़ताल करते समय चकबन्दीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गाटा सिंचाई योग्य है अथवा नहीं और इसके साथ ही वह खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 19 में प्रत्येक सिंचाई योग्य गाटे के सिंचाई का साधन और उसकी रीति इंगित करेगा। आधे से अधिक गाटा सिंचाई योग्य हो तो पूर्ण गाटा सिंचाई योग्य समझा जाएगा। गाटे का सिंचाई योग्य क्षेत्र खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 20 में अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - निम्नलिखित साधनों से सींचे गये गाटे सिंचाई योग्य समझे जाएंगे --

(1) नहर, नलकूप और अन्य कुएँ, जो टिकाऊ हों। कच्चे कुएँ सामान्यतया टिकाऊ

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-64, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा “पड़ताल” शब्द निकाला गया।
3. विज्ञप्ति सं0 437 सी0एच0/आई0-ई0 - 256-64 , दिनांक 25-3-1964 द्वारा नियम 22 व 23 प्रतिस्थापित।

न समझे जायेंगे, जब तक कि चकबन्दी समिति अन्यथा निर्णय न करे और यह निर्णय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए;

(2) नदियाँ, झीलें, नाले, तालाब, पोखरे और अन्य साधन, जिनसे किसी सामान्य वर्ष में पूरी फसल के सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी मिलता हो।]

¹[24. [धाराएँ 8 और 54 (2) (घ)] - (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीर्ता द्वारा अपनी वार्षिक रजिस्टर की जाँच तथा सत्यापन और खेतवार पड़ताल के समय पाई अशुद्धियों और विवादों और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में अभिलिखित अंशों की जाँच करेगा और इसके अतिरिक्त वह ग्रामसे कम-से-कम 20 प्रतिशत गाटों के सम्बन्ध में प्रविष्टियों की स्वयं पड़ताल करके चकबन्दीकर्ता के कार्य की जाँच करेगा। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की जाँच चकबन्दी अधिकारी और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि सभी अशुद्धियों, विवादों और संयुक्त जोतों में अंशों की विशिष्ट अशुद्धियों और विवादों की सूची में दर्ज कर दिया गया है।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी को सम्बद्ध गाँव के लिए चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं (Roster operation) में तैयार की गयी मिट्टी के वर्गीकरण के नक्शे की प्रति गाँव की एक खेतवार पड़ताल की जाँच करने से काफी पहले दी जाएगी।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं के समय अवधारित मिट्टी के वर्गीकरण के ब्यौरे के नियम 18 के अधीन तैयार किये गये ग्राम के नक्शे की प्रति में समाविष्ट कराएगा।

(4) तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, मानक गाटों की अन्तिम सूची की सहायता से कटक में प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करने का काम, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (2) से संलग्न स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाले गाटों या गाटों के भागों को छोड़कर, जिसकी एक सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 18 में तैयार की जाएगी, आरम्भ करेगा। गाटों का विनिमय अनुपात सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कटक के उतने खातेदारों से जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् चकबन्दी समिति के परामर्श से अवधारित किया जाएगा। इस प्रकार अवधारित प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात उपनियम (3) के अधीन तैयार किये गये नक्शे की प्रति में दिखाया जायेगा। प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात अवधारित करने में अग्रलिखित तथ्यों पर विचार किया जाएगा :

- (1) चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं में यथाअभिलिखित गाटे की वर्तमान मिट्टी का वर्ग;
- (2) गाटे की मिट्टी के संघटक, सामान्यतया उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या और किस्म तथा उनको उपजाने के लिए अपेक्षित श्रम की प्रमात्रा (Quantum) द्वारा यथानिर्णीत उत्पादन शक्ति;

(1) विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-64, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

टिप्पणी - उत्पादन शक्ति में अस्थायी या अनिश्चित (Erratic) वृद्धि या कमी पर विचार न किया जाएगा।

(3) सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की प्राप्यता;

टिप्पणी - नहर द्वारा सिंचाई की दशा में इस तथ्य पर, कि गाटे की सिंचाई- “तोड़ (Flow system)” , “डाल (Lift system)” , द्वारा की जाती है अथवा नहीं, गूल के गाटे की निकटता और जल के परिणाम पर विचार किया जाएगा।

(4) स्थिति, जिसका सम्बन्ध कृषि के व्यय या उनकी देख-भाल या गाटे के उत्पादन के क्रय-विक्रय से है;

(5) प्रत्येक गाटे के विनिमय के अनुपात का ठीक अवधारण करने की अन्तिम जिम्मेदारी सहायक चकबन्दी अधिकारी की ही होगी;

(6) प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात, चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उपनियम (3) में अभिदिष्ट कटक के नक्शे में दर्ज किया जाएगा;

(7) प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करते समय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से और कटक के उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछ-ताछ करने के पश्चात् प्रतिकर के अवधारण से, प्रयोजनों के लिए गाटे में स्थित प्रत्येक पेड़, कुएँ तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य भी अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित मूल्य जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 12 में दर्ज किया जाएगा। पेड़ या मूल्य अवधारित करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी उसका बाजारी मूल्य मालूम करने के उद्देश्य से उसकी आयु और किस्म पर विचार करेगा और कुएँ तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य अवधारित करने में वह उसके प्रकार, आयु, मरम्मत और उपभोज्यता पर विचार करेगा। यदि वह ऐसा निर्णय करे तो सहायक चकबन्दी अधिकारी स्वयं किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) से आग्रह कर सकता है कि वह कुएँ तथा अन्य समुन्नति के मूल्य का अनुपात सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करा ले। यदि किसी पेड़, कुएँ या अन्य समुन्नति पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो प्रतिकर की धनराशि, जो अवधारित की जाए, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न सह-स्वामियों में उनके अंशों के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् अभिभाजित की जाएगी;

(8) चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक कटक के 10 प्रतिशत तक के गाटों के विनिमय अनुपात की जाँच, उनके मूल्यांकन के परिगणन, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के अवधारण के साथ-साथ करेगा। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी के मण्डल की कम-से-कम 10 प्रतिशत कटकों में उपर्युक्त कार्य की जाँच, स्थल पर करेगा;

(9) नक्शे की प्रति, जिसमें उपनियम (4) के अधीन तैयार किये गये चकबन्दी योग्य गाटों के विनिमय अनुपात दिखाये गये हों, धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अन्य अभिलेखों के साथ कटक में प्रकाशित की जायेगी।

¹[24-क. [धाराएँ 108 और 54] (1) “सिद्धान्तों का विवरण” स्वयं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी द्वारा आकार-पत्र 21 में चकबन्दी समिति के परामर्श से और उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् तैयार किया जाएगा। विवरण में सिद्धान्तों को समाविष्ट करने के कारण दिए होंगे और उसके साथ कटक के नक्शे की एक प्रति होगी, जिसमें निम्नलिखित दिये जाएंगे :

- (1) कटक के मानक गाटे, जैसे कि वे नियम 20-क के अधीन अवधारित हों;
- (2) वर्तमान स्थायी विशेषताएं, जैसे आबादी स्थल, नहरें, गूलों (Field channels) के साथ उनके राजबहों(distributories), सड़कें, बाग, कुएँ, नाले, नालियाँ, कब्रिस्तान, श्मशान और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अन्य क्षेत्र;
- (3) खण्ड (2) में उल्लिखित किन्हीं भी मदों के स्थल, सीधार्ई (Alignment) या लम्बाई-चौड़ाई(dimensions) में प्रस्तावित परिवर्द्धन या परिवर्तन; और
- (4) किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के विनिर्दिष्ट(earmarked) क्षेत्र ।

(2) आबादी के प्रसार के लिए जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की वर्तमान और भाषी आवश्यकताओं के लिए आबादी स्थलों के लिए क्षेत्र भी है, भूमि के आरक्षण(reservation) के अतिरिक्त, प्रत्येक कटक की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकती है :

- (i) खाद के गड्डे;
- (ii) सड़क ग्राम और अन्तर्ग्राम रास्ते;
- (iii) गोचर भूमि;
- (iv) खेत के मैदान;
- (v) प्राथमिक तथा अन्य विद्यालय;
- (vi) खलिहान;
- (vii) अस्पताल;
- (viii) पंचायत घर;
- (ix) वृक्षारोपण;
- (x) श्मशान और कब्रिस्तान;
- (xi) ²[सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल कुल्प(वाटर चैनल), गूलें या नालियाँ और नहरें;]
- (xii) निस्वत्व स्थल(flying sites); और
- (xiii) इसी प्रकार के कोई अन्य उद्देश्य, जिनके लिए कटक के खातेदारों के हित में भूमि का आरक्षण आवश्यक समझा जाए।

1. विज्ञप्ति संख्या 55-35-73-रेवेन्यू - 8, दिनांक 8-1-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. विज्ञप्ति सं0 27-1-79(507)-रेवेन्यू - 8, दिनांक 15-11-1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) सिद्धान्तों का विवरण तैयार करते समय कटक की प्रत्येक विशिष्ट समस्या पर, जिसका सम्बन्ध चकों के समान प्रदेशन से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति ध्यान देगी। जिन सिद्धान्तों पर, इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव हो, उन्हें अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें विवरण में अवश्य समाविष्ट किया जाना चाहिए।

विवरण में नियम 20-क के अधीन अवधारित “मानक गाटों” के व्यौरे भी दिये जाएंगे।

(4) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति के सिद्धान्तों के विवरण में किसी विषय पर मतभेद हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी विषयों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी तैयार करेगा और उसे चकबन्दी अधिकारी को भेज देगा।

(5) यदि चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति के मतभेद को सुलझाने में असमर्थ हो, तो वह मतभेद के प्रत्येक विषय पर अपनी राय के साथ अभिलेख को बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास भेज देगा।

(6) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी समिति की सुनवाई करने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन अभिदिष्ट विषय पर अपना निर्णय देगा।

24-ख. सिद्धान्तों का विवरण, नियम 24-क के उपनियम (1) के अधीन तैयार किये गये नक्शे के साथ, कटक में प्रकाशित किया जाएगा।

24-ग. अधिनियम की धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विरुद्ध सभी आपत्तियाँ लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उनमें स्पष्ट रूप से वह रीति दी जाएगी जिससे आपत्तिकर्ताओं के हित पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

24-घ. चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), जैसी भी दशा हो, धारा 9-ख के अधीन कटक का स्थानीय निरीक्षण करते समय या धारा 11 के अधीन अपील पर निर्णय देने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण ज्ञापन (memo) तैयार करेगा और उसे उस पत्रावली में रखेगा जिसमें उसकी आज्ञा हो।

¹[25. [धारा 9(1) एवं (2)] - उप- नियम के खण्ड (i) में उल्लिखित दो कोटियों में से प्रत्येक से सम्बन्धित वादों की प्रविष्टि प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पोषित किये जाने वाले सी0 एच0 फार्म 6 पर मिसिलबन्द पंजी में क्रमानुसार की जायेगी।]

¹[25-क. [धाराएँ 9-क, 9-ख और 9-ग] - (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी यथासम्भव धारा 9-क की उपधारा (1) के खण्ड (1) और धारा 9-ख की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी आपत्तियों पर ग्राम ही में कार्यवाही करेगा। धारा 9-क की उपधारा (1) के अर्थों में समझौते के आधार पर विवादों का निर्णय करने में यह ग्राम की चकबन्दी समिति के कम-से-कम दो सदस्यों की उपस्थिति में समझौते की शर्तों को अभिलिखित करेगा। तत्पश्चात् सम्बद्ध पक्षों को ये शर्तें पढ़कर सुना दी जाएंगी और उनके हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान लिए जाएंगे। चकबन्दी समिति के उपस्थित सदस्य भी समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी विवादों के समझौते की शर्तों के अनुसार निर्णय करते हुए अभिलेखों में की जाने वाली यथार्थ प्रविष्टियों को निर्दिष्ट करने की आज्ञा देगा। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भाग के ब्यौरे मिसिलिबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी पक्षों की अनुपस्थिति में तथा एक पक्षीय आज्ञायें न देगा।

(2) उन मामलों में, जिनमें सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा 9-क की उपधारा (2) या धारा 9-ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिए रिपोर्ट भेजे, वह चकबन्दी अधिकारी द्वारा मामलों के निस्तारण के लिए दिनांक और स्थान नियत कर सकता है और उसकी सूचना अपने समक्ष उपस्थित पक्षों को देगा और जो पक्ष इस प्रकार उपस्थित न हों, उन्हें जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-क में नोटिस जारी करेगा। इन मामलों पर सहायक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट में, पक्षों के मध्य विवादग्रस्त विषयों और उनका समाधान करने के लिए उनके द्वारा किये गये प्रयासों का स्पष्ट रूप में उल्लेख होगा।]

²[26. [धारा 9-क] - (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी से प्राप्त मामले चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में मिसिलिबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे।

(2) नियम 25-क के उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उक्त प्रयोजन के लिए नियत किसी अनुवर्ती दिनांक को, चकबन्दी अधिकारी, पक्षों की सुनवाई करेगा, विवादग्रस्त प्रश्नों के सम्बन्ध में विवादपद(issues) बनाएगा, मौलिक और लेख्य दोनों साक्ष्य लेगा और आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(3) ऐसी नोटिस, जो चकबन्दी अधिकारी को किसी विवाद में निस्तारण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को जारी करना आवश्यक हो, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-क में होगा।

(4) यदि संयुक्त जोत के सभी खातेदार विभाजन का विरोध करें और चकबन्दी अधिकारी का समाधान हो जाय कि प्रत्येक सह-खातेदार का विरोध यथार्थ है तो वह विभाजन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक कि वह उन कारणों से जो कि उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे अच्छी हदबन्दी के हित में ऐसा करना आवश्यक न समझे।

(5) गाटे के विनियम अनुपात का अवधारण या गाटे पर स्थित पेड़, कुएँ या अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन करने से सम्बद्ध विवाद का निर्णय करने के लिए चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध गाटे का स्थानीय निरीक्षण करेगा, जाप तैयार करेगा और उसे सम्बद्ध पत्रावली में रखेगा।

-
1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0-एच0/आई0-ई0 256-64, दिनांक 25-3-1964 द्वारा नियम 25-क जोड़ा गया।
 2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[27. [धारा 9-क और 54] - चकबन्दी लेखपाल, धारा 9-क, के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा --

- (1) भूमि में अधिकार और भूमि के सम्बन्ध में दायित्व;
- (2) गाटे, पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन; और
- (3) संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में दी गई आज्ञायें आधार खतौनी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा चकबन्दी और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के (जैसे ही वह तैयार हो जाए) संगत स्तम्भों में क्रमशः दर्ज करेगा। वह वाद संख्या, आज्ञा का दिनांक और उसके प्रवर्ती भागों को उपर्युक्त अभिलेखों में दर्ज करेगा। चकबन्दी लेखपाल द्वारा की गई प्रविष्टियों की शुद्धता चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेंगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी भी कम-से-कम बीस प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि वे ठीक से कर ली गई है।

¹[27-क. [धारा 12-क] - (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी लेखपाल से नई जोतों पर देय मालगुजारी की धनराशि और वर्तमान जोतों पर मालगुजारी की धनराशि में अभिभाजन या परिवर्तन, यदि कोई हो, को दिखाने के लिए जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में एक विवरण-पत्र तैयार कराएगा, जहाँ यह धारा 9-क के अधीन की गई आज्ञाओं को देखते हुए आवश्यक हो। जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में वह फसली वर्ष दिया जाएगा, जब से प्रभावित जोतों पर मालगुजारी में उपर्युक्त परिवर्तन किये जाने वाले हों।]

(2) चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विवरण-पत्र की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच हो जाने के पश्चात् वह गजट में प्रकाशित किया जाएगा और उसके प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी विवरण-पत्र में ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जिन्हें यह आवश्यक समझे, उसे चकबन्दी अधिकारी के पास प्राप्त हुई प्रत्येक आपत्ति अपनी रिपोर्ट के साथ, प्रस्तुत करेगा। चकबन्दी अधिकारी भी विवरण-पत्र की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करने के लिए उसकी जाँच करेगा। वह पाई गई अशुद्धियों की रिपोर्ट तैयार करेगा और इस प्रकार की गई अशुद्धियों पर आद्याक्षर करेगा और विवरण-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा। चकबन्दी अधिकारी तत्पश्चात् अपनी रिपोर्ट के साथ, यदि कोई हो, विवरण-पत्र और सहायक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट को बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास भेजेगा, जो विवरण-पत्र और आपत्तियों का परीक्षण करेगा और मालगुजारी के निर्धारण, अभिभाजन या परिवर्तन, जैसी भी दशा हो, के लिए आज्ञायें देगा।]

28. [धारा 10] (1) तत्पश्चात् चकबन्दी लेखपाल द्वारा जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में एक पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें धारा 9-क की उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और धारा 9-क की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गई भूमि में अधिकार और भूमि के सम्बन्ध में दायित्वों से सम्बद्ध सभी आज्ञायें और नियम 27-क के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा दी गई आज्ञायें भी समाविष्ट रहेंगी। विभाजन और संयोजन के मामले में दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भागों के व्यतिरे रजिस्टर के समुचित स्तम्भ में अभिलिखित किये जाएंगे। अभिलेख की जाँच मण्डल के चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी। अभिलेख की प्रविष्टियों की जाँच करने वाला अधिकारी, अपनी जाँच के प्रतीकस्वरूप उन पर आद्याक्षर करेगा। पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर पर चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। तत्पश्चात् यह धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

¹[**(1-क)** जोत चकबन्दी आकार-पत्र 10-क में हिन्दी में एक वर्ण-क्रम सूची, जिसमें खातेदार की समस्त जोतों को एक स्थान पर दिखाया जायेगा, चकबन्दी लेखपाल द्वारा विभाजन और संयोजन आज्ञाओं को; जैसा कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में दिखाया गया है, समाविष्ट करने के पश्चात् तैयार की जाएगी और मण्डल के चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। सूची की प्रविष्टियों की जाँच करने वाले अधिकारी, उन पर अपनी जाँच के प्रतीक स्वरूप आद्याक्षर करेगा।]

(2) वार्षिक रजिस्टर में सभी कटे हुए लेखों और उपरिलेखों(overwritings) पर उस व्यक्ति द्वारा, जो लेखों को काटने या उपरिलेखन के लिए उत्तरदायी हो तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर(intial) किए जाएंगे और दिनांक लिखा जाएगा। उन्हें तब जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख अशुद्धि-पत्र में दर्ज किया जायेगा, जिसे कार्बन की दो प्रतियों में लेखपाल चकबन्दी तैयार करेगा। अशुद्धि-पत्र पर चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे। अशुद्धि-पत्र की एक प्रति मण्डल के चकबन्दी अधिकारी को उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जायेगी।

²[**29. [धारा 10]** - धारा 11 और 43 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप, यदि आवश्यक हो, तो नियम 27-क के अधीन मूल जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 तैयार किये जाने के पश्चात्, जोतों पर मालगुजारी में किये गये परिवर्तनों को दिखाने के लिए नियम 27-क के उपनियम (1), (2) और (3) के अधीन नियत रीति के अनुपूरक जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में तैयार किया जायेगा।]

30. [धारा 12] - (क) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित मामले जिस आकार-पत्र में सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाए जाएं, वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ग में होगा।

²[**(ख)** धारा 12 के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाए गए मामलों का निर्णय करने में नियम 25-क से 27 तक और 29 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण, आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जाएगा।]

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

31 तथा 32. ¹[*]**

33. [धारा 12-घ] - खातों में सम्मिलित करने के लिए प्रार्थना-पत्र- जोतों के संयोजन के लिए प्रार्थना-पत्र, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 17 में दिया जायेगा। जोतों के संयोजन(amalgamation) को प्राधिकृत करने की सभी आज्ञायें ²[जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 के पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर] के उपयुक्त स्तम्भ में दर्ज की जाएंगी।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0 - 256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

अध्याय-- 3**34 से 45. ¹[***]**

46. [धारा 19-क]- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के सदस्यों से परामर्श करके तथा उतने खातेदारों से, जितने वह जमा कर सके, जाँच करके जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में ²[प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] तैयार करेगा।

³[(1-क) उपनियम (1) के अधीन बनाई गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के साथ कटक के नक्शे की प्रतिलिपि भी संलग्न होगी जिसमें खातेदारों को दिये गये प्लॉटों और सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त निकाली गई भूमि का स्थान दिखाया जाएगा।]

(2) ²[प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में जहाँ कहीं कटे हुए लेख और उपरिलेख हों, वहाँ पर वह व्यक्ति, जो उनके उत्तरदायी हों, वह सहायक चकबन्दी अधिकारी भी संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे तथा दिनांक लिखेंगे। प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में एक अशुद्धि-पत्र जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख में दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा। अशुद्धि-पत्र की एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेज दी जाएगी।

47. [धारा 19-क]- ²[प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में निम्नलिखित का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया जायेगा --

- (1) खातेदारों के असामियों को प्रदिष्ट की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और उसके लिए देय लगान;
- (2) किसी जोत का भार, भार की धनराशि, उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में भार हो और भार का प्रकार और उसकी शर्तें;
- (3) आबादी की भूमि अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए काम में लाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल जिसको चकबन्दी की योजना में, किसी जोत के साथ मिला देने का प्रस्ताव हो और जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्मित किया गया हो।

1. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0-ई0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निरसित
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित
3. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) ¹[***]47-क. ²[***]

³[48. [धारा 20] - प्रत्येक खातेदारों के सम्बन्ध में और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसका स्वामित्व किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारियों के पास है, या जो उनमें निहित है, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 24 में नोटिसों के साथ जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से लिए गए संगत उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किए जाने के पश्चात् व सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। उद्धरण की एक प्रति सम्बद्ध खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन या स्थानीय प्राधिकारी पर, जैसी भी दशा हो, कटक में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना प्रकाशित किए जाने के पूर्व तामील की जाएगी। उद्धरण की कार्यालय प्रति सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जाएगी, जिसे यथोचित रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।]

48-क. ⁴[* * *]

48-ख. [धारा 20] - चकबन्दी के प्रस्ताव जो उद्धरणों में हों, चकबन्दी लेखपाल और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रत्येक खातेदार को उन मामलों में, जिनमें यह आवश्यक हो, स्थल पर प्रारम्भिक सीमांकन करके समझाये जाएंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी यथासम्भव अधिक-से-अधिक खातेदारों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन अनुदेशों का यथावत् पालन किया गया है।

49. [धारा 21]- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी को भेज दी जाएंगी और साथ में वह सामान्य ग्राम पत्रावली भी भेज दी जाएगी, जिसमें नियम 48 के अधीन जारी किये गये जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में उद्धरण की कार्यालय प्रतिलिपि होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले के लिए जिसमें अधिनियम की धारा 20 के अधीन आपत्तियाँ प्राप्त हों, पृथक पत्रावली खोली जाएगी। एक पत्रावली एक ही सेट के पक्षों के सम्बन्ध में होगी। सभी आपत्तियाँ चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में दर्ज की जायेंगी। ऐसे उद्धरण जिनके सम्बन्ध में कोई आपत्तियाँ प्राप्त न हुई हों, सामान्य ग्राम पत्रावली में रहेंगे, जिसके साथ एक समुचित सूची नत्थी की जाएगी, जिसमें उद्धरणों के ब्यौरे दिए होंगे।

(3) यदि चकबन्दी अधिकारी आपत्ति को अस्वीकृत करे, तो वह आपत्ति की अस्वीकृति नोटिस खातेदार पर तामील करवाएगा। किन्तु यदि किसी आपत्ति को स्वीकार करने के फलस्वरूप चकबन्दी अधिकारी (प्रारम्भिक चकबन्दी योजना) में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह ⁵[जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में एक संशोधित उद्धरण बिना शुल्क के ही सम्बद्ध खातेदार के पास भिजवाएगा। धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आपत्ति उस समय तक निस्तारित नहीं समझी जाएगी, जब तक कि यथास्थिति, आपत्ति को अस्वीकार करने का पूर्वोक्त नोटिस या

1. विज्ञप्ति सं० 160-सी०एच०/आई०-ई० - 280-58, दिनांक 16-4-59 द्वारा निरसित।
2. विज्ञप्ति सं० 160-सी०एच०/आई०-ई० - 280-58, दिनांक 16-4-59 द्वारा निरसित।
3. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित
4. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
5. विज्ञप्ति सं० 438-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

संशोधित उद्धरण सम्बद्ध खातेदार पर तामील न किया जाए।

(4) उक्त नोटिस अथवा संशोधित उद्धरण की दो प्रतियाँ तैयार की जाएंगी, जिन पर चकबन्दी अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उसकी मुहर अंकित होगी। तामील करने वाला अधिकारी एक प्रति पर तामील की स्वीकृति का अनुलेख करने के पश्चात् दूसरी प्रति खातेदार को उस पर तामील के दिनांक का अनुलेख करके देगा। पहली प्रति, जिस पर खातेदार की प्राप्ति और उस पर तामील होने का दिनांक अंकित होगा, सम्बद्ध मामले के अभिलेख में रखी जाएगी।

(5) यदि धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपील पर निर्णय देते समय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में कोई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार को जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी कराएगा।

(6) यदि धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण पर निर्णय देते समय चकबन्दी संचालक प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में, जैसी कि वह धारा 23 के अधीन पुष्टिकृत हो, कोई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार को जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी कराएगा।

50. [धारा 23] - (1) यदि धारा 21 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में ऐसे अनेक परिवर्तन करने पड़े, जिन्हें वर्तमान विवरण में सुगमता से समाविष्ट करना सम्भव न हो, तो धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन उसकी पुष्टि और उसके प्रकाशित होने के पूर्व उसकी एक स्वच्छ प्रति तथा कटक के नक्शे की एक प्रति, जिसमें खातेदारों को प्रदिष्ट गाटे तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग की गई भूमि की स्थिति दिखलाई गई हो, तैयार की जा सकती है।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा पुष्टि किये गये और धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में सभी कटे हुए लेखों और उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जिस पर लेख काटने और उपरिलेख के लिए दायित्व होगा और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर किए जाएंगे और दिनांक लिखा जाएगा। उन्हें जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख में अशुद्धि-पत्र दर्ज किया जाएगा, जिसे चकबन्दी लेखपाल कार्बन की दो प्रतियों में तैयार करेगा। अशुद्धि-पत्र पर चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक लिखेंगे और उसकी प्रतिलिपि, मण्डल के चकबन्दी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय-- 4

51 तथा 52. ¹[* * *]

53 तथा 54. ²[* * *]

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित।
2. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0-ई0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निरसित।

¹[54-क. [धारा 24] - धारा 24 के अधीन चकबन्दी योजना लागू करने के लिए जो दिनांक निश्चित किया जायेगा, उसके पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अपना यह समाधान कर लेगा कि चकों की सीमा रेखायें अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार उचित रूप से निर्धारित कर दी गई हैं]

²[55.[धारा 28]- (1) खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समितियों की, जैसी भी दशा हो, उन्हें प्रदिष्ट किए गए चकों या भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा नियम 28 के अधीन उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, जो डिक्री के निष्पादन में अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में नियत है।

(2) उस दशा में जब ऐसे चकों या भूमि या उसके भागों पर खड़ी फसल का पालन-पोषण और उन्हें बटोरने का अधिकार उस व्यक्ति के पास रहे, जिससे कब्जा हस्तान्तरित किया गया हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से, भूमि का उपयोग करने के लिए जोत चकबन्दी आकार-पत्र 32 में प्रतिकर की ऐसी धनराशि अवधारित करेगा, जो फसल वाले क्षेत्र के लगानी मूल्य के तीन गुने से अधिक न हो तथा जो उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे भूमि का कब्जा हस्तान्तरित किया जाए। वह दिनांक जब तक खड़ी फसल अवश्य काट ली जानी चाहिए और गाटा से हटा ली जानी चाहिए और वह दिनांक भी जब तक अवधारित प्रतिकर का अवश्य भुगतान कर दिया जाना चाहिए, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा। जोत चकबन्दी आकार-पत्र 32 में उद्धरण सम्बद्ध खातेदारों पर तामील किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण- उन दशा में न तो कोई प्रतिकर अवधारित किया जाएगा और न उसका भुगतान किया जाएगा, यदि कब्जा देने के दिनांक और खड़ी फसलों को काटने के लिए निश्चित दिनांक के बीच फसल बोने की कोई ऋतु न हो।

(3) धारा 29 की उपधारा (1-क) के अधीन प्रस्तुत अपीलों पर निर्णय हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 35 में प्रतिकर के प्रदान के प्रमाण-पत्र प्रतिकर पाने वालों को जारी करेगा। वह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 36 में नोटिस जारी करेगा।]

56. [धारा 29]- (1) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी यह निर्णय करे कि फसल पर कब्जा भी दिलाया जाए, तो वह चकबन्दी समिति के परामर्श से निम्नलिखित पर विचार करते हुए, फसल का मूल्य निर्धारित करेगा :

(क) फसल की दशा;

(ख) फसल की अनुमानित उपज;

(ग) उपज का ऐसा अनुमानित मूल्य, जिसके कटक में फसल काटने के समय मिलने की सम्भावना हो;

(घ) ऐसी धनराशि जिसके हस्तान्तरण के दिनांक से फसल काटने के समय तक फसलों पर व्यय होने की सम्भावना हो।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित कृत(appraisement) सभी खातेदारों के सामने की जाएगी, जब तक कि वे ऐसी सामान्य सूचना पर भी, जो कटक में डुगगी पिटवाकर दी जाएगी, उपस्थित न हुए हों।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से कूत का परिणाम जोत चकबन्दी आकार-पत्र 33 और 34 में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) ¹[* * *]

(5) उपनियम (3) के अधीन विवरण-पत्रों के अन्तिम हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 35 में प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र प्रतिकर पाने वालों को देगा और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 36 में उसकी सूचना प्रदाताओं को भी दी जाएगी।

(6) से (8), (8-क) तथा (8-ख) ¹[* * *]

²[56-क. (1) प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के किसी अन्य रीति से प्रतिकर वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, नियम 55 के उपनियम (4) या नियम 56 के उपनियम (5), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रदान किए जाने के लिए जारी किया गया प्रमाण-पत्र उसमें अभिलिखित दिनांक से दो वर्षों के भीतर मालगुजारी के बकाया के रूप में धनराशि की वसूली के लिए कलेक्टर को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र के साथ क्षेत्राधिकारयुक्त तहसील को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकर या उसका कोई भाग शेष है या नहीं, प्रारम्भिक जांच करेगा। तत्पश्चात् वह अपनी जाँच के परिणाम को कलेक्टर की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जब कलेक्टर का ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाए कि प्रतिकर या उसके किसी भाग का, प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है, तो वह प्रतिकर के शेष को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए प्राधिकार देगा।]

56-ख. [धारायें 28, 29 और 29-क]- प्रतिकर की वसूली के लिए किसी वाद या कार्यवाही में कलेक्टर को पक्षकार न बनाया जाएगा।

57. [धारा 29] - (1) दखल दिहाड़ी के बाद यथाशीघ्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में बने प्रमाण-पत्र की बाहरी-पत्रक पेड़ों, कुओं, इमारतों तथा अन्य उन्नति के कार्यों के लिए प्रतिकर पाने वालों को दिलवायेगा। प्रमाण-पत्र में प्रतिकर देने वाले का नाम, प्रतिकर की धनराशि और उस सम्पत्ति का, जिसके निमित्त प्रतिकर दिया जाएगा, विवरण होगा।

(2) पेड़ों, कुओं, इमारतों तथा अन्य उन्नति के कार्यों के लिए प्रतिकर देने का नोटिस भी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में बने बाहरी-पत्रक पर प्रत्येक प्रतिकर देने वाले को दिया जाएगा और उसमें पाने वाले का नाम, दिए गए प्रतिकर की धनराशि और उस सम्पत्ति का, जिसके लिए प्रतिकर दिया जाएगा, विवरण होगा।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित

2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा नियम 56-क जोड़े गये।

(3) प्रमाण-पत्र और सूचनाओं का वितरण हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 के भीतरी-पत्रक अधिक्षेत्रयुक्त तहसीलदार को दे दिए जाएंगे।

(4) नियम 56-क के उपबन्ध, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में उल्लिखित प्रतिकर की वसूली पर लागू होंगे, मानो कि वह नियम 55 या 56 के अधीन देय प्रतिकर था और मानो कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 पर नियमों में उल्लिखित प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र था।

(5) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अंशदान करने के निमित्त खातेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि, जैसी कि वह ¹[जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में अवधारित की गई हो, कब्जा प्रदान करने के पश्चात् शीघ्र ही नियम 61 के अधीन तैयार किए गए ¹[जोत चकबन्दी आकार-पत्र 27] में मांग व वसूली की जमाबन्दी में अवधारित चकबन्दी के व्यय में संधानित कर दी जाएगी। ऐसी दशाओं में, जिनमें खातेदारों द्वारा चकबन्दी का कोई व्यय देय न हो, अथवा प्रतिकर की धनराशि चकबन्दी व्यय से अधिक हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी, खातेदारों को अधिक प्रतिकर की धनराशि नकद देगा और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 -क में भुगतान का अभिलेख रखेगा।

58. [धारा 54]- (1) जब किसी लेख्य के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से, जिसे लेख्य दिया जाए या जिस पर नोटिस तामील हुआ हो, प्राप्ति की रसीद लेने की विशेष व्यवस्था न की गई हो, तो तामील करने वाले अधिकारी द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति पर की गई तामील का अभिलेख, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 31 में रखा जायेगा।

(2) किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को कोई लेख्य देने या उस पर किसी नोटिस या सम्मन की तामील करने सम्बन्ध में देने या तामील करने वाला अधिकारी, यदि खातेदार या सम्बद्ध व्यक्ति देने या तामील के समय अपने निवास-स्थान में उपस्थित न हो या यदि सभी प्रकार का यथोचित और उपयुक्त श्रम करने पर भी उसका पता न लगाया जा सके या यदि वह देने या तामील करने पर लेख्य नोटिस या समन लेने से इन्कार करे तो लेख्य, नोटिस या सम्मन को उस घर के, जिसमें वह सामान्यतया रहता हो, बाहरी द्वार पर या उसके दूसरे किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर उसकी तामील करेगा या देगा, किन्तु यदि कटक में उसका कोई ऐसा निवास-स्थान नहीं है तो लेख्य, नोटिस या सम्मन की एक प्रति, उस भूमि के उस स्थान पर या पार्श्व(adjacent) में स्थित किसी जनसमागम के स्थान पर जिससे लेख्य, नोटिस अथवा सम्मन का सम्बन्ध हो, चिपकाकर उसकी तामील करेगा या देगा। प्रत्येक दशा में देने या तामील करने वाला अधिकारी, कटक के दो निवासियों से लेख्य, नोटिस या सम्मन का चिपकाया जाना प्रमाणित करा लेगा, परन्तु प्रतिकर के प्रमाण-पत्रों की तामील, उनको चिपकाकर नहीं की जाएगी।

²[(3) चकबन्दी विभाग के सभी चकबन्दी लेखपाल, चपरासी, श्रृंखलाधारी और विभाग का कोई अन्य कर्मचारी, जो विशेष आदेशिका(process) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए तामील करने वाले अधिकारी(serving officers) होंगे।]

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा बढ़ाया गया

59 तथा 60. ¹[* * *]।

²[61. [धारा 33]- जमाबन्दी का तैयार किया जाना - (1) चकबन्दी क्रियाओं के व्यय के लिए जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 27 में जमाबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जाएगी।

(2) चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम की चकबन्दी शत-प्रतिशत जाँच लिए जाने और चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी 20 प्रतिशत प्रविष्टियाँ भी जाँच लिए जाने और उन पर आद्याक्षर (initial) किए जाने के पश्चात् तहसीलदार को, उसमें दिखाई गई धनराशियों को, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए भेजी जाएगी।

(3) खातेदार पर निर्धारित व्यय, उसके द्वारा दो समान किस्तों में देय होगा--

(क) वसूल किए जाने के लिए पहली किस्त, मालगुजारी की उस पहली किस्त के साथ देय होगी, जो अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि किए जाने के पश्चात् देय होगी; और

(ख) वसूल किए जाने के लिए दूसरी किस्त, मालगुजारी किस्त के बाद देय होगी।]

62. [धारा 54 (2)] - चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी समिति की बैठकों की कार्यवाहियों को दर्ज करने के निमित्त जोत चकबन्दी आकार-पत्र 29 में कार्यवाही की एक पुस्तक रखेगा। वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 30 में एक डायरी भी रखेगा जिसमें उसके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य का व्यौरा दिया जाएगा। चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी भी इसी अधिकार-पत्र में एक डायरी रखेंगे।

63 से 64. ³[* * *]

65. [धारा 54]- (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी चकबन्दी अधिकारी अथवा किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास से अपने यहाँ मँगा सकता है और उसे किसी ऐसे दूसरे चकबन्दी अधिकारी अथवा सहायक चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिए अभिदिष्ट कर सकता है, जो उसके निस्तारण के लिए सक्षम हो।

⁴[(1-क) वह अधिकारी जिसके समक्ष अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन अपील, पुनरीक्षण या निर्देश संस्थित किये जाएं, अपने समक्ष संस्थित या विचाराधीन किसी मामले को किसी अन्य अधिकारी को जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने और उस पर निर्णय देने का अधिकार हो, हस्तांतरित कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी मामले को उस अधिकारी की पत्रावली से अपनी पत्रावली में वापस मँगा सकता है। किसी ऐसे जिले का, जहाँ कोई संयुक्त, उप-सहायक, संचालक चकबन्दी नियुक्त हो, जिला उप-संचालक, चकबन्दी किसी पुनरीक्षण या मामले के अभिलेख को जो ऐसे अधिकारी के समक्ष निस्तारण के लिए विचाराधीन हो, मँगा सकता है और उसे ऐसे अधिकारी को

1. विज्ञप्ति सं० 160-सी०एच०/आई०-ई०-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा नियम 59 व 60 निरसित
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित
3. विज्ञप्ति सं० 160-सी०एच०/आई०-ई०-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निरसित
4. अधिसूचना सं० 65/59/79(1226) - सं० - 8, दिनांक 20-2-1980 द्वारा प्रतिस्थापित

हस्तांतरित कर सकता है, यदि वह किसी कारणवश उसे निर्णय करने में असमर्थ हो।]

(2) चकबन्दी संचालक किसी मामले को किसी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास से अपने पास मँगा सकता है और उसे किसी दूसरे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को निस्तारण के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(3) से (5) [निरसित]

66. ¹[* * *]

67. [धारा 27] - उ० प्र० मालगुजारी अधिनियम, 1901 के अध्याय 4 के निदेश और उसके अधीन बनाए गए नियम, जहाँ तक कि वे इन नियमों से असंगत हों या उनके अन्तर्गत न आते हों, अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राम का नया नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए लागू न होंगे।

68. [धारा 27]- यदि किसी ग्राम का कोई क्षेत्र किसी दूसरे ग्राम की सीमा के भीतर स्थित हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), सन् 1951 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (25) के अधीन सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, यदि वह पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो, उक्त क्षेत्र को दूसरे ग्राम में मिलाने के लिए कार्यवाही करेगा।

69. कई ग्रामों के क्षेत्रों के सम्बन्ध में खसरा तैयार किया जाना - यदि सन् 1951 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन क्षेत्रों को, जो अब तक एक से अधिक ग्रामों के अन्तर्गत थे, कोई अन्य ग्राम बनाने के लिए सम्मिलित किया गया हो अथवा किसी ग्राम के एक भाग को एक पृथक् ग्राम के रूप में संघटित किया गया हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में ग्राम का एक ही नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार कराएगा।

²[69-क. (1) जहाँ ग्राम का भाग, नगर क्षेत्र का भाग बनता है और यह निश्चय किया गया है कि ग्राम के उस भाग को चकबन्दी योजना में लिया जाए जो नगरीय क्षेत्र में असम्मिलित है तो अलग-अलग ग्राम का नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, एक चकबन्दी क्षेत्र का और दूसरा ग्राम के नगर क्षेत्र का।

(2) नगर क्षेत्र से सम्बन्धित अभिलेख अन्तिम और निश्चायक न होगा और उस क्षेत्र को सुलभ अन्तिम अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टियों पर आधारित होगा।

(3) ऐसे नगर क्षेत्र का अभिलेख तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

(क) पुनर्संख्यांकन नियम 88 के उपनियम (2) के अनुसार किया जाएगा;

(ख) चकबन्दी फार्म 40 में एक फर्म मुताबिक तैयार की जाएगी;

(ग) खसरा मुताबिक चकबन्दी फार्म 41 में तैयार की जाएगी;

1. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।

2. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।

(घ) खसरा और खतौनी की दो प्रतियाँ तथा शुद्ध सूची फार्म पी-3, पी-11 तथा पी-12 में क्रमानुसार तैयार की जाएगी;

(ङ) नक्शा का गुणन(multiplication) तथा नया वर्गीकृत भू-चित्र नियम 101 के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा तैयार किया गया अभिलेख आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को दिया जाएगा।

70. [धारा 51]- यदि चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में उस क्षेत्र के लिए जो अब तक एक से अधिक ग्रामों के अन्तर्गत था, अभिलेखों का एक ही सेट तैयार किया जाना हो, तो विभिन्न ग्रामों के गाटों का भेद हिन्दी के उपयुक्त वर्ण पहले लगाकर व्यक्त किया जाएगा।

71. [धाराएँ 27 और 54]- ¹[(1) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी अंतिम चकबन्दी योजना प्रवृत्त होने के पश्चात्, किन्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, भूमिधरों तथा सीरदारों को प्रदिष्ट चकों, जिसके अन्तर्गत आसामियों को प्रदिष्ट उपचक्र भी है, तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित भूमि की सीमायें निर्धारित करने के लिए सीमा स्तम्भ लगवाएगा।

¹[(2) सीमा-खम्भे और उन्हें लगवाने की लागत, जैसी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा समय-समय पर प्रत्येक इकाई (यूनिट) के लिए अवधारित की जाए, प्रत्येक सम्बद्ध पार्श्ववर्ती खातेदार द्वारा देय होगी। कलेक्टर इस प्रकार अवधारित लागत को सम्बद्ध खातेदारों से मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करेगा।

(3) सीमा-खम्भों और उन्हें लगवाने की लागत की जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26-ख में दो प्रतिलिपियों में तैयार की जाएगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच कर लिए जाने के पश्चात् वह बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के माध्यम से अभिक्षेत्रयुक्त तहसीलदार को मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करने के लिए दे दी जाएगी।]

72 व 73. ²[* * *]

74 से 81. ³[* * *]

82. [धारा 27] - लेखपाल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि--(1) चकों, (2) चक के अन्तर्गत असामी को प्रदिष्ट किए हुए क्षेत्र, और (3) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग की गई भूमि की सीमायें नक्शे पर अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार ठीक-ठीक दिखाई गई है। मालूम हुई अशुद्धियाँ चकबन्दीकर्ता को संशोधन के निमित्त बताई जानी चाहिए।

83. [धारा 27] - लेखपाल नक्शे में दिखाए हुए प्रचलित चिन्हों की जाँच भी करेगा और ऐसे सभी चिन्हों के सम्बन्ध में, जो इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में विहित किए गए हैं, आवश्यक संशोधन करेगा।

84. ⁴[* * *]

⁵[85. [धारा 27] - (1) उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नक्शे को अद्यावधि(up-to-date) कर लेने के पश्चात् उसके आधार पर

1. विज्ञप्ति सं० 46/6/70/रेवेन्यू-8, दिनांक 7-11-1975 द्वारा प्रतिस्थापित
2. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
3. विज्ञप्ति सं० 160/आई०-ई० - 280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा नियम 74 से 81 निरसित
4. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
5. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०-ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित

गाटों की पुनः परिगणना की जाएगी। प्रत्येक चक की एक क्रम-संख्या होगी, यदि वह प्राकृतिक या भौतिक(physical) अवरोध द्वारा भागों में न बाँट दिया गया हो और ऐसी दशा में प्रत्येक भाग की अलग से परिगणना की जाएगी। चक के अन्तर्गत आने वाले भूमिधरी और सीरदारी क्षेत्रों को जिनकी एक क्रम-संख्या हो, नक्शे में छोटे-छोटे ढेशों से निर्मित रेखा द्वारा दिखाया जाएगा। नक्शे में भूमिधर और सीरदारी भाग क्रमशः अक्षर (अ) और (ब) द्वारा दिखाया जायेगा। चक के भीतर असामी की जोत को भी इसी प्रकार दिखाया जायेगा। सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में नक्शों में शब्द (अ-स) और (ब-स) क्रमशः मूल खातेदार की जोत भूमिधरी या सीरदारी भागों में धृत असामी अधिकारों को दिखाने के लिए लिखे जाएंगे।

(2) उपनियम (3) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, गाटों की पुनः परिगणना पूरे राजस्व ग्राम के लिए एक क्रम से की जाएगी। यह ग्राम के उत्तर-पश्चिम के कोने से आरम्भ होगी और दक्षिण-पूर्व के कोने में समाप्त की जाएगी। पुनः परिगणना करने में कुदान न किये जाने चाहिए, किन्तु यदि कोई कुदान हुए हों, तो नक्शे के पार्श्व में उनके सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जाएगी।

(3) जहाँ चकबन्दी क्षेत्र ग्राम का केवल एक भाग हो, तो इसकी पुनः परिगणना दूसरे भाग से जिसमें गैर-चकबन्दी क्षेत्र हो, अलग की जाएगी। गैर-चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति की सूचना, सचिव, राजस्व परिषद् की ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह आवश्यक समझे, दी जाएगी।

(4) जहाँ नगर क्षेत्र से भिन्न कोई ऐसा अन्य क्षेत्र, जिस पर 1951 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू न होता हो, चकबन्दी के अधीन ग्राम में स्थित हो, तो पुनः परिगणना पूरे राजस्व ग्राम में एक क्रम से की जाएगी।

86. [धारा 27]- नियम ¹[82,83,और 85] तक के अनुसार लेखपाल द्वारा किए गए कार्य की शत-प्रतिशत चकबन्दीकर्ता और 25 प्रतिशत कार्य की सहायक चकबन्दी अधिकारी जाँच करेगा। चकबन्दी अधिकारी भी अपना यह समाधान करने के लिए कि कार्य ठीक-ठीक किया गया है, उसकी जाँच करेगा।

87 से 89. ²[* * *]

90. [धारा 27]- (1) तत्पश्चात् चकबन्दीकर्ता अन्तिम नक्शा तैयार कराएगा, जिसमें केवल नई संख्यायें, उनकी सीमायें और जहाँ आवश्यक हो, प्रचलित चिन्ह दिए रहेंगे। इसकी जाँच चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व की जाएगी, जिसके पद, नाम का उल्लेख उसके हस्ताक्षर के नीचे किया जाएगा, इस प्रकार तैयार किए गए अन्तिम नक्शे की प्रतियाँ उतारे जाने के पश्चात्, जैसा कि उपनियम (2) में निर्धारित है, वह प्रेस की प्रतिकृति करने के लिए भेजा जाएगा, यदि नियम 101 के उपबन्धों को देखते हुए प्रतिकृति करना आवश्यक हो। प्रेस से प्राप्त होने पर अन्तिम नक्शा कलेक्टर के अभिलेख कक्ष के लिए अभिप्रेत चकबन्दी संग्रह में रखा जाएगा।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित

(2) अन्तिम नक्शे की दो प्रतियाँ उतारी जाएंगी। इन प्रतियों में नये गाटों के भीतर विद्यमान पुराने गाटों की सीमायें बिन्दु-रेखाओं से दिखाई जाएंगी, जिनमें पुराने गाटों की सीमायें नहीं दी जाएंगी। इन नक्शों में वर्तमान मिट्टी के वर्गों को भी मोटी लाल रेखाओं से चिह्नित किया जाएगा। विभिन्न मिट्टी के वर्गों की उपयुक्त अल्पाक्षरों(abbreviations) द्वारा वर्णित किया जायेगा और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस प्रकार उतारी गई प्रतियों की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा जाँच और हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस नक्शे की एक प्रति नियम 100 में उल्लिखित दो चकबन्दी संग्रहों में से प्रत्येक में रखी जाएगी।

91 तथा 92. ¹[* * *]

93. [धारा 47]- ²[चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः परिगणन और जाँच समाप्त हो जाने के पश्चात् लेखपाल जोत चकबन्दी आकार-पत्र 41 में नई संख्याओं के अनुक्रम में तुलनात्मक खसरा (खसरा मुताबिकत) दो प्रतियों में तैयार करेंगे, जिसमें भूमि श्रेणियों के भी ब्यौरे दिए जाएंगे।]

94 से 96. ³[* * *]

97. [धारा 27]- चकबन्दी लेखपाल, खसरा मुताबिकत और धारा 27 की उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य संगत अभिलेखों की सहायता से जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में, दो प्रतियों में खतौनी तैयार करेगा।

⁴[98. चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किए गए खसरा मुताबिकत और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी की चकबन्दीकर्ता द्वारा शत-प्रतिशत जाँच की जाएगी, इन अभिलेखों में से 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत की चकबन्दी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी, तत्पश्चात् जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी ग्राम में प्रकाशित की जाएगी।]

99. [धारा 27]- खतौनी के तैयार हो जाने के पश्चात् तुलनात्मक खसरे के स्तम्भ 5 में नई खाता संख्यायें लिखी जाएंगी।

⁴[100. [धारा 27]- खसरा मुताबिकत तथा खतौनी के सभी कटे हुए लेखों अथवा उपरिलेखों (overwritings) पर उस व्यक्ति द्वारा जो उन्हें काटने और उपरिलेख के लिए उत्तरदायी हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और दिनांक डाला जाएगा। कहीं पर कोई लेख मिटाया नहीं जाएगा।

-
1. विज्ञप्ति सं0 31/3-9-4-ड, दिनांक 30-1-1981 द्वारा निरसित
 2. विज्ञप्ति सं0 31/2-69-1-ड, दिनांक 30-1-1971 द्वारा प्रतिस्थापित
 3. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
 4. विज्ञप्ति सं0 31/2-69-1-ड, दिनांक 30-4-1971 द्वारा प्रतिस्थापित

उपरिलिखित प्रत्येक अभिलेख के सम्बन्ध में एक अशुद्धि-पत्र 6-ख में तैयार किया जाएगा और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इस पर सहायक चकबन्दी अधिकारी भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसी सूची पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् अभिलेखों की प्रत्येक प्रति के साथ उसकी जिल्द बाँधित समय पर नत्थी की जाएगी।]

¹[100-क [धारा 27]- चकबन्दी ग्रन्थ संग्रह में अन्तिम ग्राम नक्शे के साथ खसरा मुताबिकत और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी होगी, ऐसे दो संग्रह तैयार किए जाएंगे, उनमें से एक कलेक्टर के अभिलेख कक्ष में रखा जाएगा और दूसरा लेखपाल को देने के लिए तहसीलदार को दिया जाएगा। तत्पश्चात् चकबन्दी संचालक धारा 52 के अधीन ग्राम की विज्ञप्ति करने की कार्यवाही करेगा।]

101. [धारा 27]- (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) यथाशीघ्र एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें जनता के ऐसे व्यक्तियों को, जो ग्राम के नक्शों की प्रतिलिपियाँ, जिनकी यांत्रिक साधनों से (machnically) उतारने का प्रस्ताव है, माल लेना चाहते हों, यह सूचना दी जाएगी कि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नियत किए जाने वाले दिनांक तक प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दें। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) उक्त नोटिस में प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए निश्चित किए गए मूल्य का भी उल्लेख करेगा।

(2) नियम 90 के अधीन तैयार किए गए नक्शे में निम्नलिखित संख्या में यांत्रिक साधनों से प्रतिलिपियाँ उतारी जाएंगी : **(क)** माल तथा भूमि अभिलेख के दो छाया मुद्रित (blue-print) प्रतिलिपियाँ, छः कपड़े पर और चार कागज पर प्रयोजनों के निमित्त उतारी हुई प्रतिलिपियाँ। **(ख)** बिक्री के निमित्त कपड़े पर उतारी हुई चार प्रतिलिपियाँ या यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करके इससे अधिक प्रतिलिपियों के सम्बन्ध में निर्णय करे तो अधिक, जो माँगी हुई प्रतिलिपियों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त होगी।

(3) नियम 90 के अधीन तैयार किया गया नक्शा दो छाया मुद्रित प्रतिलिपियों के सहित भूमि अभिलेखों के संचालक के पास भेजा जाएगा।

(4) से (6)²[* * *]

³[101-क. [धारा 27]- नियम 90 के अधीन तैयार किये गये अंतिम नक्शे की प्रतियों में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) वर्तमान मिट्टी के वर्गों को मोटी लाल रेखाओं से चिह्नित करायेगा, विभिन्न मिट्टी के वर्ग के उपयुक्त अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किये जायेंगे और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखे जायेंगे। चकबन्दी/चकबन्दीकर्ता तथा

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा नियम 100-क जोड़ा गया तथा विज्ञप्ति सं0 31/2-69-1-ड, दिनांक 30-4-1971 द्वारा प्रतिस्थापित
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0-ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निरसित
3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा नियम 101-क जोड़ा गया

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा नक्शे की जाँच तथा उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी नक्शे की जाँच करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।]

102 तथा 103. [* * *]

104. [धारा 27] संयुक्त चकबन्दी योजना का आकार-पत्र में तैयार कराया जाना - (1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें एक से अधिक ग्राम सम्मिलित हों, संयुक्त चकबन्दी योजना तैयार की गई हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 44 में एक विवरण-पत्र तैयार कराएगा जिसमें निम्नलिखित दिखाए जाएंगे--

(क) प्रत्येक ऐसे ग्राम में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत किसी खातेदार से सम्बन्धित मालगुजारी और आना मूल्यांकन;

(ख) प्रत्येक ऐसे ग्राम में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत ऐसे खातेदार के लिए प्रविष्ट किया गया आना मूल्यांकन,

(ग) प्रत्येक ऐसे ग्राम में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत खातेदार द्वारा भविष्य में देय मालगुजारी, जो इस सिद्धान्त के अनुसार लगाई गई हो कि ऐसी मालगुजारी का ऐसे सभी ग्रामों में भौमिक अधिकार के उक्त वर्ग के अन्तर्गत अदा की गई मालगुजारी के योग के साथ वही अनुपात होगा, जो उस ग्राम में उस भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत प्रविष्ट किए गए आना मूल्यांकन के योग के साथ है, जो ऐसे सभी ग्रामों में उसी वर्ग के अन्तर्गत उसे प्रविष्ट किया गया है।

नोट- केवल ऐसे गाटों के, जो चकबन्दी के अन्तर्गत हों, आना मूल्यांकन का हिसाब लगाया जाएगा।

(2) उक्त विवरण-पत्र की शत-प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा 20 प्रतिशत जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत जाँच चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद विवरण-पत्र ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा। यदि कोई सम्बद्ध व्यक्ति उसके किसी इन्दराज पर इसके प्रकाशन के दिनांक से 10 दिन के भीतर आपत्ति करे तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा विवरण-पत्र की पुष्टि को बाधित न करते हुए, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उसकी सुनवाई और अन्तिम रूप से उसका निर्णय करेगा।

(3) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा जोत चकबन्दी आकार-पत्र 44 में बने विवरण-पत्र की पुष्टि हो जाने पर शीघ्र ही प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए नियम 97 के अनुसार तैयार की गई खतौनी में तदनुसार इन्दराज किए जाएंगे।

105. [धारा 54]- राज्य सरकार ऐसे रीति अवधारित करेगी जिसके अनुसार अधिनियम के अधीन किए गए सभी मुकदमों में कार्यवाहियों के अभिलेख का निस्तारण किया जाएगा।

106 तथा 107. [निरसित]

108. [धारा 5]- (1) आधार वर्ष के अभिलेखों या उन अभिलेखों से, जो धारा 10(1) के अधीन प्रकाशित किए गए हों, उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा जारी किए जाएंगे। ऐसे उद्धरणों को जारी करने के लिए उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा, जो लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल में नियत है।

(2) धारा 8-क के अधीन तैयार किए गए सिद्धान्तों के विवरण की प्रति के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी को आवेदन-पत्र दिया जाएगा और साथ में प्रत्येक प्रति के लिए 2 रुपये 50 पैसे का प्रतिलिपि स्टाम्प भेजा जाएगा।

(3) प्रदेशन आज्ञा की एक प्रति चकबन्दी लेखपाल द्वारा, उसे 25 पैसे प्रत्येक प्रति के हिसाब से पारिश्रमिक शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने पर, जारी की जा सकती है।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार किए गए नक्शों और अन्तिम लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिए, जो उपनियम (1) से (3) के अन्तर्गत नहीं आते, आवेदन-पत्र सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिए जाएंगे अथवा उन निर्णयों, वक्तव्यों आदि, जो न्यायालय की कार्यवाही के अंग हों, प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध न्यायालय के अधिष्ठाता अधिकारी (presiding officer) को दिए जाएंगे और उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार माल विभाग के मैनुअल ऑफ आर्डर्स के अध्याय 9 में निहित रीति तथा शुल्क की दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

109. [धारा 27]- किसी ग्राम के सम्बन्ध में ग्राम के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबन्दी योजना, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-क, भाग 1 और 2 चकबन्दी उप-संचालक को विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ खसरे तथा ग्राम के रजिस्टर की जिस पर वह आधारित हो, प्रतियाँ और ग्राम के नक्शे की एक प्रति भी रहेगी, जिसमें चकबन्दी योजना में समाविष्ट के व्यौरे दिए होंगे।

109-क. (1) धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में दी गई आज्ञायें धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। ऐसे प्राधिकारी के न होने की दशा में परगने की प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो, मामलों से सम्बद्ध क्षेत्र का लेखपाल उपर्युक्त आज्ञाओं को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता तथा चकबन्दी लेखपाल के कृत्यों का निर्वहन तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट किसी आज्ञा को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए प्रभावित चकों का पुनः प्रदेशन करना आवश्यक हो जाए, तो चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार, जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् आवश्यक आज्ञायें दे सकते हैं।

(3) चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार, जैसी भी दशा हो, की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन दी गई आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) या परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर, जैसी भी दशा हो, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपील पर निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा।

(4) यदि उपनियम (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जा देना आवश्यक हो जाए, तो नियम 54 और 56 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

109-ख. (1) यदि एक से अधिक वाद या कार्यवाहियाँ, जिनमें अवधारण के लिए सारतः एक समान प्रश्न अन्तर्गस्त हों और जो एक समान वाद हेतुक(cause of action) पर आधारित हों, दो या अधिक चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हों, तो वे किसी एक पक्ष द्वारा उस प्राधिकारी को, जिसके अधीनस्थ वे सभी प्राधिकारी हों, जिनके समक्ष वाद या कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों, प्रार्थना-पत्र देने पर या स्वतः एक प्राधिकारी के समक्ष समेकित कर दिए जाएंगे और उन्हें एकल निर्णय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

(2) चकबन्दी अधिकारी, अपने समक्ष विचाराधीन वादों या कार्यवाहियों को स्वयं समेकित कर सकता है। यदि उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं या उसका समाधान हो जाए कि वादों या कार्यवाहियों के उचित और शीघ्र निस्तारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है और इससे वाद या कार्यवाही के किसी पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

110. [धारा 3 (4)]- चकबन्दी संचालक, राज्य में चकबन्दी संगठन में नियोजित कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण करने के अधिकारों का प्रयोग करेगा और इसके लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा, जो आवश्यक हों।

¹**[111.]** अधिनियम की धारा 48 के अधीन आवेदन-पत्र आवेदनकर्ता या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्बद्ध जिले या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) कटक के लिए चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट संयुक्त उप-सहायक संचालक, चकबन्दी को या जिले में किसी ऐसे संयुक्त उप-सहायक संचालक, चकबन्दी की नियुक्ति न होने पर जिला उप-संचालक, चकबन्दी की उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध आवेदन-पत्र निदेशित हो, 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ निर्णय या उस आज्ञा की एक प्रति होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाए। विवाद के सम्बन्ध में अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों के निर्णय या आज्ञा की प्रतियाँ भी, यदि कोई हों, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएंगी।]

112. [धारा 54]-सन् 1959 के संशोधन से पहले चकबन्दी की कार्यवाहियाँ- (1) जो कार्यवाहियाँ, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 49 के अधीन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5, सन् 1954) के, जैसा कि वह 1958 ई0 के संशोधित होने के ठीक पहले था, उपबन्धों के अनुसार संचालित और समाप्त की जाती हैं, वे सब कार्यवाहियाँ 1954 के नियमों के द्वारा, जैसे कि वे दिनांक 16 अप्रैल, 1959 की विज्ञप्ति सं0 166-सी0एच0/आई0-ई0-280-58 द्वारा संशोधित होने के पूर्व थे, शासित होगी।

(2) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8, सन् 1963) की धारा 47 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जोत कार्यवाहियाँ,

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5, सन् 1954), जैसा कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 8, सन् 1963) द्वारा संशोधित किए जाने के पूर्व था, के अनुसार संचालित और समाप्त की जानी हों, वे उन नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसी कि वे विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25 मार्च, 1964 द्वारा संशोधित किए जाने के तुरन्त पूर्व थे :

प्रतिबन्ध है कि नियम 3, 3-क, 14, 55, 56, 56-क 57, 58, 61, 63, 85, 86, 90, 100, 101, 101-क और 109-ख के उपबन्ध, जैसा कि वे उपर्युक्त विज्ञप्ति द्वारा संशोधन किए जाने के पश्चात् हों, लागू होंगे और उक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाल दिए गए नियम 87 और 88 के उपबन्ध चकबन्दी क्रियाओं के सम्बन्ध में या उनसे सम्बद्ध कार्य पर और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 8 सन् 1963) की धारा 47 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों पर भी लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण- किसी कार्यवाही पर प्रयोज्य आकार-पत्र, इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन, ऐसी कार्यवाहियों पर प्रयोज्य नियमों के अनुसार होंगे।

113. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू खसरा, खतौनी तथा नक्शों में प्रविष्टियों के आधार पर अधिनियम की धारा 52-क में उल्लिखित योजना के प्रारूप तैयार करेगा।]

(2) यदि उपनियम (1) में उल्लिखित अभिलेख की किसी प्रविष्टि में किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में परिष्कार किया जाए तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रविष्टि के सामने आदेश सम्बन्धी निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग को लिखेगा। इस प्रकार ठीक की गई प्रविष्टियों की योजना का प्रारूप तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।]

114. [धारा 52-क]- यदि चक-मार्गों या चक-गूलों की व्यवस्था करने के लिए, चकों का पुनर्व्यवस्थापन करना आवश्यक हो जाए तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, ग्राम सभा में निहित किसी जोत या भूमि के ऐसे गाटों या गाटों के भागों, जिन पर ऐसे पुनर्व्यवस्थापन से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, का विनिमय अनुपात गाटा या गाटों की उत्पादकता, स्थिति और वर्तमान मिट्टी के वर्ग को सुनिश्चित करके और ग्राम के उतने खातेदार के साथ, जितने वह एकत्र कर सके, स्थल पर जाकर सत्यापन अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित किया गया विनिमय अनुपात जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 1 के स्तम्भ 4 व जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 2 के विवरण के स्तम्भ 12, जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित किया जाएगा।

115. [धारा 52-क]- खातेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, की गणना जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 3 में की जाएगी।

116. [धारा 52-क]- (1) नियम 113 में अभिदिष्ट योजना का प्रारूप जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 1 और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 2 में तैयार किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई योजना का प्रारूप तब धारा 3 (8) के अनुसार, ग्राम में

-
1. विज्ञप्ति सं० 31-1-71/1-ड, दिनांक 27-6-1973 द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1973 से नियम 113 से 118 तक बढ़ाया गया

प्रकाशित किया जाएगा। योजना के प्रारूप का संगत उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किए जाएंगे।

117. [धारा 52-क]- धारा 52-क की उपधारा(8) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा योजना की पुष्टि किए जाने के पश्चात् यह धारा 3 की उपधारा (8) के अनुसार प्रकाशित की जायेगी और प्रदेशन आदेश, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 22-ग में, यथास्थिति, सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किए जाएंगे।

118. [धारा 52-क]- बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा धारा 52-क की उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत योजना को लेखपाल द्वारा नियम 113 के उपनियम (2) में बताई गई रीति से चालू नक्शे और अभिलेखों में प्रभावी किया जाएगा। चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी, लेखपाल द्वारा की गयी प्रविष्टियों की जाँच करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा।]
